रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226344 CG-DL-E-01042021-226344

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] No. 189] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सा.का.िन. 240(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988(1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 336 (अ), तारीख 29 मई, 2020 द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, तीस दिन की अविध की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 29 मई, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 का खंड (थ), धारा 8 की उप-धारा (2) और (6), धारा 9 की उप-धारा (2), धारा 11 की उप-धारा (2), धारा 15 की उप-धारा (2) और (4), धारा 19 (1क), धारा 25(क), धारा 41 की उप-धारा (1), (3), (8) और (10), धारा 43, धारा 44 की उप-धारा (1), धारा 49 की उप-धारा (1क), धारा 50 की उप-धारा (1), धारा 62(ख), धारा 63, धारा 64 का खंड (त) और धारा 211(क) द्वारा प्रदत्त

1987GI/2021 (1)

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) शीर्षक और प्रारंभ इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2021 है।
 - (2) ये 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 में,
 - (क) खंड (गग) के पश्चात निम्नलिखित खंड रखा जाएगा:-
 - (घ) "सुविधा केंद्र" यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई वास्तविक केंद्र से अभिप्रेत है जिसमें आवश्यक स्रोत और पहुंच सुविधा के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों और किसी परिवर्तन या अन्यथा के लिए या तो किसी व्यक्ति द्वारा पोर्टल का उपयोग में अंतर्विष्ट है।
 - (ख) खंड (ड़) में, ''इन नियमों में संलग्न'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् ''पोर्टल पर उपलब्ध किया गया इलेक्ट्रॉनिक रूप से तत्स्थानी सम्मिलित''।
 - (ग) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु: -
 - "(I) श्रेणी एल1 से अभिप्रेत जो है बिना गियर वाली मोटर साइकिल या अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ एक हल्का दो पहिया पावर्ड वाहन और यदि थर्मिक इंजन से युक्त है, तो इंजन की क्षमता 50 सीसी से अधिक न हो या यदि बिजली की मोटर से युक्त है, तो मोटर की शक्ति 4.0 किलोवाट से अधिक नहीं हो"
 - (ख) खंड (iक) का लोप किया जाएगा;
 - (ग) खंड (iख) के लिए निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 - "(iख) श्रेणी एल2 से अभिप्रेत है जहां एक मोटर साइकिल या एक हल्का दो पहिया पावर्ड वाहन की इंजन क्षमता 50 सीसी से अधिक न हो, यदि थर्मिक इंजन से युक्त है या यदि बिजली की मोटर से युक्त है, तो मोटर की शक्ति 4.0 किलोवाट से अधिक नहीं हो"
- 3. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उप-नियम (1) में: -
 - (क) शब्द "के साथ होना" के लिए शब्द "शामिल" रखे जाएंगे।
 - (ख) शब्दों "प्ररूप 1 में" के लिए शब्दों "प्ररूप 2 से संलग्न" को अंत:स्थापित किया जाएगा।
 - (ग) शब्दों "प्ररूप 1क में जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र" के बाद और शब्दों "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा" से पहले, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"इस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से"

(घ) निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत: -

"परंतु आवेदक चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो इस मामलें में परिवहन वाहन के अलावा किसी अन्य वाहन को चलाने के लिए चलन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन धारा 8 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्ररूप 1क में एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए गए एक चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र से होगा।"

- 4. उक्त नियमों में, नियम 5 के उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।
- (5) उक्त नियमों में, नियम 5 में, -

- (i) उप-नियम (3) में: -
 - (क) शब्दों "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "छह माह" रखा जाएगा।
 - (ख) शब्द "आवेदक" के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया किया जाएगा, अर्थात्: -
 - ''इस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है।"
- (ii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -
 - ''(4) प्ररूप 1क में धारा 8 की उप धारा (3) में निर्दिष्ट एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा जारी किए गए प्रत्येक चिकित्सा प्रमाणपत्र को केवल इस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा।"
- (6) उक्त नियमों में, नियम 8 का लोप किया जाएगा;
- (7) उक्त नियमों में, नियम 8क. के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - **"8 क. ई-रिक्शा या ई-कार्ट चलाने के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यक है**। ई-रिक्शा या ई-कार्ट चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदक को कम से कम दस दिन की अवधि का प्रशिक्षण लेना होगा और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।"
- (8) उक्त नियमों में, नियम 9 में: -
 - (क) शीर्षक में, "शैक्षिक अर्हताएं" शब्दों के स्थान पर "न्यूनतम प्रशिक्षण और भाषा समझ की आवश्यकता" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) उप-नियम (2) में, शब्द "न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता या" का लोप किया जाएगा।
 - (ग) उप-नियम (2) में, "जिनके अधिकार क्षेत्र में अनुज्ञापन प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "राज्य में, जिसमें कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।
- (9) उक्त नियमों में, नियम 10 में: -
 - (क) ''के साथ होना होगा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - ''निम्नलिखित दस्तावेज और फीस को, या तो आवेदक द्वारा स्वयं पहुंच कर अथवा सुविधा केंद्र की मदद से इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक पोर्टल पर जमा किया गया"
 - (ख) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्-
 - ''(क) परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के मामले में प्ररूप 1क में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र;"
 - (ग) खंड (ख) में, शब्द "की तीन प्रतियां" का लोप किया जाएगा;
 - (घ) खंड (ड.) में, शब्दों "निवास का सबूत" के पश्चात् शब्द "और आयु" अंत:स्थापित किया जाएगा।
 - (ड.) खंड (च) और (छ) का लोप किया जाएगा।
 - (च) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 - "(ज) एक रूपांतरित वाहन चलाने के लिए शिक्षुओ की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के मामले में, प्ररूप 1क में विकलांगता का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, के साथ एक चिकित्सा प्रमाण पत्र।"
- (10) उक्त नियमों में, नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

- "11. शिक्षु अनुज्ञप्ति के लिए समाधान होने की शर्तें (1) नियम 10 के तहत एक आवेदन जमा करने के सात दिन के भीतर, शिक्षु अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक को या तो स्वयं आवेदक द्वारा एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच से या किसी सुविधा केंद्र की मदद से पोर्टल पर सुरक्षित चालन पर शिक्षण (ट्यूटोरियल) पूरा करना होगा।
 - (2) सुरक्षित चालन के ट्यूटोरियल में निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी होगी, अर्थात्: -
 - (क) यातायात संकेत, यातायात संकेतक और अधिनियम की धारा 118 के तहत बनाए गए सड़क बनाए गए विनियम;
 - (ख) एक चालक के कर्तव्य, जब उसका वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान होता है;
 - (ग) मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियां;
 - (घ) मोटर वाहन चलाते समय जो दस्तावेज उसे अपने साथ रखना चाहिए;
 - (3) सुरक्षित चालन पर ट्यूटोरियल लेने के पश्चात् नियम 10 के तहत आवेदन जमा करने के सात दिन के भीतर प्रत्येक आवेदक को या तो स्वयं पोर्टल को पहुंच कर या किसी सुविधा केंद्र की मदद से एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक परीक्षा देनी होगी, जिसमें उप-नियम (2) में निर्दिष्ट विषयों पर आवेदक के ज्ञान और समझ की परीक्षा के उद्देश्य से उपाबंध VI में निर्दिष्टानुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं।
 - (4) यदि आवेदक उसको दिए गए प्रश्नों में से कम से कम 60 प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो आवेदक को उप-नियम (3) के तहत निर्दिष्ट परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण माना जाएगा।
 - (5) उप-नियम (1) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आवेदकों के निम्नलिखित वर्ग पर लागू नहीं होंगे, अर्थात्:-
 - (क) एक प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारक,
 - (ख) समाप्त हो चुका चालन अनुज्ञप्ति धारक,
 - (ग) इन नियमों के लागू होने से पहले जारी या पुर्नजारी किए गए शिक्षु अनुज्ञप्ति धारक।
 - (घ) नियम 24 में उल्लिखित विषयों का पर्याप्त ज्ञान और समझ रखने के बारे में किसी भी ड्राइविंग स्कूल या धारा 12 में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र धारक।"
- 11. उक्त नियमों में, नियम 13 में, शब्दों "अनुज्ञप्ति अधिनियम प्ररूप नियम रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "13. शिक्षु अनुज्ञप्ति का प्ररूप.- (1) शिक्षु अनुज्ञप्ति का अधिनियम प्ररूप धारा 8 (4) के अधीन नियम 11 के तहत निर्धारित शर्तों की सफल संतुष्टि होने पर अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रत्येक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति मुद्रण योग्य प्ररूप 3 में जारी किया जाएगा।
 - (2) उक्त अधिनियम धारा 8 की उप-धारा (6) के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के तहत यथानिर्दिष्ट ई-हस्ताक्षर के माध्यम से आवेदक की पहचान प्रमाणित करने या अन्य तरीके से सत्यापित किए गए हस्ताक्षर अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित हस्ताक्षर के बाद अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जा सकता है।"
- 12. उक्त नियमों में, नियम 14 में, -
 - (i) उप-नियम (1) में: -
 - (क) खंड (ग) में, "की तीन प्रतियां" शब्दों का लोप किया जाएगा।
 - (ख) खंड (घ) में, "प्ररूप 1क" के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

- "परिवहन वाहन चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति के लिए एक आवेदन के मामले में"
- (ग) खंड (ड.) में, शब्दों "प्ररूप 5 में एक चालन प्रमाण पत्र" से पहले निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "परिवहन वाहन चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति के लिए एक आवेदन के मामले में,"
- (घ) खंड (च) में, शब्दों "निवास का सबूत" के पश्चात् "और आयु" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
 - (ड.) खंड (छ) का लोप किया जाएगा।
- (ii) उप-नियम (2) में, -
 - (क) शब्द "प्ररूप 4 क में बनाया जाएगा" के पश्चात् और शब्दों "और उसके साथ होगा" से पहले निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु: -
 - ''एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या तो आवेदक द्वारा स्वयं पहुंच करके अथवा सुविधा केंद्र की मदद से या अन्यथा";
 - (ख) खंड (ग) में, शब्द "की तीन प्रतियां" का लोप किया जाएगा।
- 13. उक्त नियमों में, नियम 15 में, -
 - (i) उप-नियम (1) में, शब्दों "कम से कम तीस दिनों की अवधि के लिए" के पश्चात् शब्द "चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए अपेक्षित सक्षमता की परीक्षा के मामले को छोड़कर" अंत:स्थापित जाएगा।
 - (ii) उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - ''(1 क) कोई भी व्यक्ति रूपांतरित वाहन चलाने के लिए सक्षमता परीक्षा के लिए तब तक नहीं उपस्थित होगा जब तक वह चालन परीक्षा के लिए सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत रूपांतरित वाहन नहीं लाता है।"
- 14. उक्त नियमों में, नियम 16 में, उप-नियम (4) में, शब्दों "अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया होगा" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -
 - "या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा जारी किया गया"
 - (15) उक्त नियमों में, नियम 17 में, -
 - (i) उप-नियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 - ''(ड.) नियम 6 में अन्यथा उपबंधित के सिवाए परिवहन वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्ति के अतिरिक्त एक आवेदन के मामले में प्ररूप 1क में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र;"
 - (ii) उप-नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 - "(3) धारा 11 (2) के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के तहत यथा निर्दिष्ट ई-हस्ताक्षर के माध्यम से आवेदक की पहचान प्रमाणित करने या अन्य तरीके से सत्यापित किए गए हस्ताक्षर अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित हस्ताक्षर के बाद अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्तों के साथ अनुज्ञप्ति जारी किया जा सकता है।"
- 16. उक्त नियमों में, नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - **"17क. चालन अनुज्ञप्ति से वाहनों के एक वर्ग या वर्गों का स्थायी रूप से हटाना -** (1) कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक या एक से अधिक मोटर वाहन चलाने का चालन अनुज्ञप्ति है, चाहे वह प्रभावी हो या समाप्त हो, आवेदक द्वारा अपने चालन अनुज्ञप्ति के साथ प्ररूप 8 में और नियम 32 में विनिर्दिष्ट अनुसार उचित फीस पर राज्य, जिसमें वह निवास

- करता या व्यापार करता है, के किसी भी अनुज्ञप्ति प्राधिकरण में अनुज्ञापित में स्थायी रूप से एक वर्ग को हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- (2) उप-नियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकरण आवेदक के चालन अनुज्ञप्ति से मोटर वाहन के उस वर्ग या वर्गों को हटा देगा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।
- (3) मोटर वाहनों के एक वर्ग या वर्गों को हटाने के प्रयोजनों के लिए जिनके लिए अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो गई है, इसके नवीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।"

17. उक्त नियमों में, नियम 18 में,

- (i) उप-नियम (1) में,
 - (क) शब्दों "क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले अनुज्ञापन प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य में किसी भी अनुज्ञापन प्राधिकरण" रखा जाएगा।
 - (ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(घ) परिवहन वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु एक आवेदन के मामले में प्ररूप 1 क में चिकित्सा प्रमाण पत्र या गैर-परिवहन वाहन को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए एक आवेदन के मामले में, यदि आवेदक ने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।"
- (ii) उप-नियम (3) में, पहले और दूसरे परंतुक को निम्नलिखित द्वारा रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "परंतु कि चालन अनुज्ञप्ति के पोर्टल पर चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण या चालन अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल अनुज्ञापन प्राधिकरण के लिए पर्याप्त सूचना माना जाएगा, जिसने उप-नियम (3) के प्रयोजन के लिए चालन अनुज्ञप्ति जारी किया था।
- (iii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "(4) यदि चालन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख के बाद के इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकरण को आवेदन से संबंधित प्रकार के वाहन को चलाने के लिए एक प्रभावी शिक्षु अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी"
- 18. उक्त नियमों में, नियम 18 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 - **"18 क. द्विप्रतिक चालन अनुज्ञप्ति जारी करना -** एक द्विप्रतिक चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए एक आवेदन के मामले में, जो खो गया है, फटा हुआ या कटे-फटे जैसे दस्तावेज़ की पहचान या प्रामाणिकता को यथोचित रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है, ऐसा आवेदन प्राप्त करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकरण, चालन अनुज्ञप्ति के मामले में पोर्टल पर विवरण उपलब्ध है, द्विप्रतिक चालन अनुज्ञप्ति जारी करें:

परंतु यदि चालन अनुज्ञप्ति का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है और अनुज्ञापन प्राधिकरण एक द्विप्रतिक चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त करता है, तो वह मूल अनुज्ञापन प्राधिकरण से पुष्टिकरण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से चालन अनुज्ञप्ति जारी करेगा:

परंतु, यदि चालन अनुज्ञप्ति का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति आवेदन प्राप्त करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकरण मूल अनुज्ञप्ति प्राधिकरण से इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल द्वारा पृष्टि जारी किया जाएगा";

- 19. उक्त नियमों में, नियम 21 में, खंड (9), (16) और (25) का लोप किया जाएगा।
- 20. उक्त नियमों में, नियम 21 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

- **"21 क. सार्वजनिक क्षेत्र में नाम रखना -** (1) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) और (3) के अधीन, धारा 19 (1क) के तहत अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश से चालन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण पर,
- (i) यदि धारा 19 (3) के तहत किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा आदेश के खिलाफ अपील की जाती है और अपील को अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी जाती है या
- (ii) यदि अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की तारीख से एक माह के भीतर किसी असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा अपील नहीं की जाती है, तो ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकरण पोर्टल पर इस तरह के अनुज्ञप्ति धारक के विवरणों को साधारण जनता द्वारा पहुंच के लिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट (पीडीएफ) में पठनीय इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रण योग्य, साझा करने योग्य रूप में अधिनियम की धारा 19 (1क) के तहत चालन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण शीर्षक में एक अलग अनुभाग में प्रदर्शित कर सकता है।
- (2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए निरस्त चालन अनुज्ञप्ति धारक के बारे में निम्नलिखित विवरण छह माह तक पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे:
 - i. नाम;
 - ii. चालन अनुज्ञप्ति नंबर जिसे निरस्त कर दिया गया है;"
- 21. उक्त नियमों में, नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - "23. चालन अनुज्ञप्ति का राष्ट्रीय रजिस्टर (1) केंद्रीय सरकार चालन अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए एक पोर्टल को अधिसूचित करेगी और उसका रख-रखाव करेगी, जो प्रत्येक राज्य में प्ररूप 10क में जारी और नवीनीकृत किए गए अनुज्ञप्ति से संबंधित सभी विवरणों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का संग्रह होगा।
 - (2) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रण योग्य, साझा करने योग्य रूप में इस तरह के पोर्टल पर डेटा को रखा, संग्रहीत और संरक्षित किया जाएगा।
 - (3) मोटर यान (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से, जिन राज्यों ने केंद्रीय सरकार को चालन अनुज्ञप्ति के राज्य रजिस्टर में निहित डेटा सहित सभी सूचना संचारित नहीं की है, वे चालन अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के समानुकरण के लिए केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से छह माह के भीतर निहित डेटा सहित सभी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से केंद्रीय सरकार को प्ररूप 10क में परेषित करेंगे:
- 23क. अनुज्ञापन प्राधिकरणों द्वारा चालन अनुज्ञापियों के राष्ट्रीय रिजस्टर का पहुंच और अद्यतन (1) अनुज्ञापन प्राधिकरणों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय रिजस्टर के लिए पोर्टल का उपयोग किया जाएगा या प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा:
 - (i) चालन अनुज्ञप्ति का राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच;
 - (ii) अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप वास्तविक समय में, अनुज्ञप्ति से संबंधित किसी विशेष विवरण का इलेक्ट्रॉनिक रूप से अद्यतन;
 - (iii) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा जारी या नवीनीकृत किसी भी चालन अनुज्ञप्ति के संबंध में, वास्तविक समय में नया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड।
 - (2) चालन अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल, हर समय किसी भी अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा पोर्टल में निहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए तैयार किए गए या अंतिम अद्यतन किए जाने की तारीख और समय प्रदर्शित करेगा।

- (3) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए चालन अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल पहुंच हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अनुज्ञापन प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारियों को विधिमान्य लॉग इन परिचय पत्र की आवश्यकता होगी।
- (4) केंद्रीय सरकार चालन अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल पर किसी भी अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए या अद्यतन किए गए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण के रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
- 23ख. चालन अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय रजिस्टर का अद्यतन करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकरणों के कर्तव्य इसके लिए प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकरण या निर्दिष्ट प्राधिकरण जिम्मेदार होगा:
 - (i) चालन अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल पर अनुज्ञप्ति से संबंधित विवरण में किसी भी परिवर्तन का वास्तविक समय में तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रूप से अद्यतन करना।
 - (ii) अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा जारी या नवीनीकृत किसी भी चालन अनुज्ञप्ति के संबंध में वास्तविक समय में नया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना।
 - 23ग. चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर का पहुंच- चालन अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल में संरक्षित और तैयार किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऐसे अभिकरणों या संगठनों द्वारा पहुंच किए जा सकते हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार ठीक समझती है।"
- 22. उक्त नियमों में, नियम 27 में, खंड (क) में, शब्दों "प्ररूप 14 में एक रजिस्टर" के पश्चात् शब्द "एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से" को अंत:स्थापित किया जाएगा।
- 23. उक्त नियमों में, नियम 32 में, सारणी में,
 - (i) क्रम सं. 9 में: -
 - (क) स्तंभ प्रयोजन में, शब्दों "रियायत अवधि" के स्थान पर " चालन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) स्तंभ राशि में, "रियायत अवधि की समाप्ति की तारीख से गणना की जाएगी" शब्दों के स्थान पर शब्द "चालन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष पश्चात् वसूला की जाएगा।" रखा जाएगा
 - (ii) क्रम सं. 13, स्तंभ प्रयोजन में, शब्दों "किसी भी आवेदन के लिए" के पश्चात् और शब्दों "पते में परिवर्तन" से पहले निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 - "चालन अनुज्ञप्ति से मोटर वाहनों के वर्ग या वर्गों को स्थायी रूप से हटाना"
 - (iii) क्रम सं. 13 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. 14 को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"14	द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति को जारी करना	चार सौ रुपए	18(4)	28(2)(π)"
	911 \(11 \) 11			

- 24. उक्त नियमों में, नियम 34 में, उप-नियम (2) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-"(बी) रूपांतरित वाहन"
- 25. उक्त नियमों में, नियम 41 में, उप-खंड (ज) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

- "(i) विनिर्माण संयंत्र, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, गोदाम, दुकान, अधिकृत ब्यौहारी या बिक्री के किसी भी स्थान से आगे बढ़ने या लौटने के लिए।
- (স) निर्यात के प्रयोजन के लिए लदान के स्थान तक";

26. उक्त नियमों में, नियम 43 में,

- (i) उप-नियम (1) में:
 - (क) शब्द "प्रत्येक व्यापार प्रमाण पत्र धारक एक रजिस्टर रखेगा" के पश्चात् शब्द "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" रखे जाएंगे।
 - (ख) शब्दों "द्विप्रतिक में, जो क्रम संख्याबद्ध पृष्ठों के साथ जिल्दबंद पुस्तक के रूप में होगा" के स्थान पर "मोटर वाहनों के लिए पोर्टल पर" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) उप-नियम (2) में, "द्विप्रतिकि" शब्द के लिए, "मुद्रित" शब्द रखा जाएगा।
 - (iii), उप-नियम (3) में, -
 - (क) शब्द "एक यात्रा के अंत में एक व्यापार प्रमाणपत्र धारक होगा" के पश्चात् शब्द "इलेक्ट्रॉनिक" अंत:स्थापित किया जाएगा।
 - (ख) शब्दों "(मूल और द्विप्रतिक दोनों), और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए रजिस्टर और द्विप्रतिक खुले होंगे" का लोप किया जाएगा।
- 27. उक्त नियमों में, नियम 47 में, -
- (1) (i) उप-नियम (1) में, -
- (क) 'शब्द' "मोटर वाहन के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्ररूप 20 में आवेदन यात्रा की अविध को छोड़कर इस तरह के वाहन की आपूर्ति प्राप्त करने की तारीख से सात दिनों की अविध के भीतर किया जाएगा और उसके साथ होगा -" को निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:-
 - "एक मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए प्ररूप 20 में आवेदन उस राज्य के किसी भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण में किया दिया जाएगा, जहां स्वामी का निवास या व्यवसाय स्थान हो, जहां वाहन को आमतौर पर रखा जाता है:
 - (i) पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन के रूप में खरीदे गए मोटर वाहन के मामले में, जिसे जिस राज्य में ब्यौहारी स्थित है उसके अलावा किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया जा रहा है स्वामी द्वारा यात्रा की अवधि को छोड़कर ऐसे वाहन की आपूर्ति की तारीख से सात दिन किया जाएगा, या;
 - (ii) एक मोटर यान के मामले में, जिसे चेसिस के रूप में खरीदा जाता है, जिसकी बॉडी अलग से तैयार की जाती है, जिसे जिस राज्य में ब्यौहारी स्थित उसके अलावा किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया जा रहा है, बॉडी के अलग से निर्मित होने के बाद स्वामी द्वारा किया जाएगा, या;
 - (iii) पूरी तरह से निर्मित मोटर यान के रूप में खरीदे गए मोटर यान के मामले में, जिसे उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया जा रहा है जिसमें ब्यौहारी स्थित है, ब्यौहारी द्वारा वाहन की आपूर्ति से पहले किया जाएगा, या;
 - (iv) ऐसे मोटर वाहन के मामले में, जिसे चेसिस के रूप में खरीदा गया है, जिसके लिए अलग से बॉडी बनायी गयी है, जिसे उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया जा रहा है, जिसमें ब्यौहारी स्थित है, अलग से बॉडी बनाए जाने के बाद ब्यौहारी द्वारा किया जाएगा;

- (v) मोटर वाहनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए प्ररूप 20 के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और फीस होंगे";
- (ख) उप- खंड (झक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(झख) सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए वाहन ट्रैकिंग युक्ति लगाने का सबूत;"
- (ग) खंड (′) का लोप किया जाएगा।
- (2) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 - "(1क) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए यदि उप-नियम (1) के खंड (iii) या (iv) के तहत ब्यौहारी द्वारा रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो ऐसे वाहन का क्रेता उप-नियम (1) के उप-खंड (ख), (ड.) और (ट) के तहत ब्यौहारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा, उप नियम (1) के तहत ब्यौहारी को आवेदन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करेगा।"
- (3) उप-नियम (3) में, "https://www.vahan.nic.in/makermodel/" का लोप किया जाएगा।
- (4) उप-नियम (6) में, "https://www.vahan.nic.in/makermodel/" का लोप किया जाएगा।
- 28. उक्त नियमों में, नियम 47 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- "47क. परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट के लिए पूर्व स्वीकृति (1) जहां मोटर यान का स्वामी नियम 112 के उप-नियम (1) और (3) के अनुसार मोटर वाहन में परिवर्तन करने या रिट्रोफिटमेंट करने का इरादा करता है, तो स्वामी को या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल के माध्यम से या वास्तविक रूप में, प्ररूप 22ग में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी;
- (2) यदि प्रस्तावित परिवर्तन धारा 52 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित शर्तों, मानकों और विनिर्देशनों के तहत अनुमत है, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण प्ररूप 22ग के भाग । की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल पर या वास्तविक रूप में स्वामी को प्ररूप 22ग के भाग ॥ में पूर्व अनुमोदन प्रदान करता है;
- (3) यदि रजिस्ट्रीकृत प्राधिकरण प्ररूप 22ग की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन को मंजूरी नहीं देता या अस्वीकार नहीं करता है, तो पूर्व स्वीकृति दी जानी मानी जाएगी;
- 47ख. परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट का पृष्ठांकन (1) जहां नियम 112 के उप-नियमों (1) या (2) के अनुसार किसी भी मोटर यान में परिवर्तन किया जाता है या रिट्रोफिट किया जाता है, तो वाहन का स्वामी मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट की प्रविष्टि करने के लिए या किसी भी परिवर्तन या रेट्रो-फिटमेंट के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में शामिल विवरण में किसी भी परिवर्तन को दर्ज करने के लिए, उस राज्य में किसी भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, जहां उसका निवास या व्यवसाय का स्थान है, जहां यान को सामान्य रूप से रखा जाता है या जिसमें परिवर्तन किया जाता है, या तो प्ररूप 22घ में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदक द्वारा स्वयं पहुंच कर अथवा किसी सुविधा केंद्र की मदद से या अन्यथा, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र और नियम 81 में निर्दिष्टानुसार उचित फीस के साथ अनुपालन प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर आवेदन करेगा।

परंतु, कि नियम 112 के उप-नियम (2) के अनुसार किए गए किसी भी परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट के लिए परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट समर्थन आवेदन के मामले में, धारा 52 की उप-धारा (1क) और (2) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नियम 81 के तहत कोई फीस देय नहीं होगा:

परंतु, यह और कि इसके अलावा नियम 47क के उप-नियम (1) के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, तो परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट करने के लिए आवेदन परिवर्तन या परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट करने की तारीख से चौदह दिन के भीतर किया जाएगा;

- (2) नियम 112क के अनुसार जहां किसी भी मोटर यान को रूपांतरित वाहन में परिवर्तित करने के लिए बदला जाता है, तो वाहन का स्वामी, मोटर वाहन के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में रूपांतरित वाहन की प्रविष्टि करने के लिए उस राज्य में, जहां उसका निवास या व्यवसाय का स्थान है, जहां वाहन को सामान्य रूप से रखा जाता है, प्ररूप 22ड. में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदक द्वारा स्वयं पहुंच कर अथवा किसी सुविधा केंद्र की मदद से या अन्यथा, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करेगा।
- (3) उप-नियम (1) या (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर रिजस्ट्रीकरण प्राधिकरण प्ररूप 22च या प्ररूप 22छ में अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आधार पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर रिजस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र में परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट या रूपांतरित वाहन की प्रविष्टि कर सकता है;
- (4) उप-नियम (3) के तहत इस तरह के किसी भी पृष्ठांकन करने वाला मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के अलावा एक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण इस पृष्ठांकन के बारे में मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को सूचित करेगा:

परंतु, मोटर यानों के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में परिवर्तन की प्रविष्टि या मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल को मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचना समझा माना जाएगा";

- 29. उक्त नियमों में, नियम 48 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्: -
- "48. पूरी तरह से निर्मित मोटर यान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करना (1) धारा 41 के उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार पूरी तरह से निर्मित नए मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए ब्यौहारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वामी द्वारा उस राज्य में, जहां उसका निवास या व्यवसाय का स्थान है के अलावा अन्य राज्य में पूर्ण रूप से निर्मित नए मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए पोर्टल पर नियम 47 के अनुसार फीस और करों का भुगतान, पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन के रजिस्ट्रीकरण के लिए तुरंत एक रजिस्ट्रीकरण चिह्न सुजित किया जाएगा;
- (2) यान विनिर्माता या यान विनिर्माता का ब्यौहारी नियम 50 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के चिह्न को चिपकाएगा;
- (3) स्वामी के नाम पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्ररूप 23क में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा;
- (4) मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तिथि उप-नियम (1) के तहत रजिस्ट्रीकरण चिह्न को सृजित करने की तारीख होगी:
- 30. उक्त नियमों में, नियम 48 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- "48क. किसी मोटर यान के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना, जिसकी बॉडी खरीदे गए चेसिस से अलग तैयार की गयी हैं (1) मोटर यान के ब्यौहारी या स्वामी द्वारा रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करने पर, जिसकी बॉडी खरीदी गई चेसिस से अलग से तैयार किया गया है और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा मोटर यान के निरीक्षण के आधार पर पोर्टल पर नियम 47 के अनुसार फीसों और करों का भुगतान और धारा 62क की उप-धारा (1) के अनुसार एक रजिस्ट्रीकरण चिह्न सृजित किया जाएगा और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो दिन के भीतर प्ररूप 23क में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा;
- (2) यान विनिर्माता या यान विनिर्माता का ब्यौहारी रजिस्ट्रीकरण नियम 50 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण चिह्न को चिपकाएगा;
- (3) मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख उप-नियम (1) के तहत रजिस्ट्रीकरण चिह्न सृजित करने की तारीख होगी;

परंतु, जहां किसी परिवहन यान का रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जहां से संबंधित है, वहां ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 38 में फिटनेस प्रमाण पत्र दर्ज करने के बाद ही रजिस्ट्रीकृत स्वामी को सौंप दिया जाएगा;

48ख. रजिस्ट्रीकरण के समय वाहन का उत्पादन - प्राधिकृत ब्यौहारी द्वारा बेचे गए किसी मोटर वाहन, यदि यह पूरी तरह से निर्मित मोटर यान है, को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के समक्ष पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ के पहले उत्पादन की आवश्यकता नहीं होगी।

परंतु, एक अधिकारी और मोटर वाहन विभाग के मोटर वाहन निरीक्षक के पंक्ति से नीचे नहीं, ब्यौहारी के परिसर की वस्तु सूची में किसी भी वाहन का औचक निरीक्षण कर सकता है।"

- 31. उक्त नियमों में, नियम 49 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "49. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण रिकॉर्ड रखा जाएगा प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप 24 में, इसके द्वारा धारा 41 के तहत रजिस्ट्रीकृत मोटर यानों और अन्य राज्यों के मोटर यानों, जिसके लिए धारा 47 की उप धारा (2) के तहत इसके द्वारा नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न दिए गए हैं और संबंधित रजिस्ट्रीकरण संख्या के तहत इस तरह के रिकॉर्ड में भी दर्ज किए जाएंगे, इसके द्वारा धारा 43 के तहत अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत वाहनों के और अस्थायी चिह्न भी दर्ज किए जाएंगे, धारा 41 की उप धारा (10) या उप-धारा (14), धारा 49 की उपधारा (5), धारा 50 की उपधारा (6), धारा 51 की उप धारा (1), (2), (3) और (5), धारा 52 की उपधारा (1), (1क), (2) और (4), धारा 53 के तहत निलंबन का आदेश और धारा 54 तथा 55 के तहत रद्द करने का आदेश के उपबंधों के संदर्भ में किए गए सभी परिवर्तन का ब्यौरा रखेगा":
- (32) उक्त नियमों के नियम 52 में, -
 - (i) उप-नियम (1) में, -
- (क) "रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसकी अधिकारिता" शब्दों के स्थान पर "राज्य का कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में" शब्दों को रखा जाएगा।
 - (ii) उप-नियम (2) में, -
- (क) "प्रमाण पत्र का नवीनीकरण" शब्दों के पश्चात् ", पांच वर्षों की अवधि के लिए" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।
 - (ख) पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु, यह और कि रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की समाप्ति के पहले की तारीख को फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, तो इस मामले में नवीनीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा:

परंतु, यह और भी कि मोटर वाहनों के लिए पोर्टल पर या मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण को दर्ज करने को धारा 41 की उपधारा (10) के प्रयोजनार्थ मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचना माना जाएगा;

- (iii) उप- नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(4) परिवहन वाहनों के मामले में, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की वैधता फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता तक होगी।
- (33) उक्त नियमों में, नियम 53 में, उप-नियम (2) में शब्दों, "अंतिम रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी" के स्थान पर "उस राज्य में, जहां वाहन अंतिम बार रजिस्ट्रीकृत हुआ है, कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।
 - (34) उक्त नियमों में, नियम 53 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

- "53क. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन मोटर वाहन को उस राज्य, जिसमें ब्यौहारी स्थित है, के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में या खरीदी गई चेसिस, जिस पर बॉडी को अलग से तैयार किया जाना है, के मामले में रजिस्ट्रीकृत किया जा रहा है, तो अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन स्वामी द्वारा पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्ररूप 20 में किया जा सकता है और यह नियम 81 में यथा निर्दिष्ट उचित शुल्क के साथ नियम 47 के उप नियम (1) अनुसार मोटर वाहनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के साथ होना चाहिए;
- **53ख-** अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करना (1) अपेक्षित फीस के साथ अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत प्ररूप 23ख में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सृजित किया जाएगा;
- (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रदान किया गया कोई भी अस्थायी रजिस्ट्रीकरण उसके जारी करने की तारीख से छह महीने की प्रारंभिक अविध के लिए मान्य होगा:

परंतु, उप-नियम (1) के अधीन जहां मोटर वाहन रजिस्ट्रीकृत है, वह एक चेसिस है, जिसमें बॉडी को संलग्न नहीं किया गया है और उसे उक्त छह महीने से अधिक समय तक बॉडी के साथ संलग्न रहने के कारण या मालिक के नियंत्रण से परे किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण किसी कारखाने से रखा गया है, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण प्ररूप 20ख में आवेदन जमा करने और मालिक द्वारा नियम 81 में यथा विनिर्दिष्ट समुचित फीस का भुगतान करने पर वैधता की प्रारंभिक अविध को एक या अधिक बार, जैसा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण उचित समझे, हर बार 30 दिनों तक बढ़ा सकता है।

- (3) उप-नियम (2) के अधीन आगे की किसी भी अविध या अविधयों के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की वैधता की प्रारंभिक अविध का विस्तार करने पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण प्ररूप 23ख में समुचित प्रविष्टि करेगा;
 - **53ग- अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्नों को सौंपना -** (1) अस्थायी प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण वाहन के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रदान करेगा, उदाहरण के लिए:-

टी- अस्थायी प्रमाणपत्र दर्शाता है

08- रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करने का महीना

20- रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करने का वर्ष

एबी- राज्य कोड दर्शाता है

1234- अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की क्रम संख्या

एबी- अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की वर्णमाला (ओ और आई को छोड़कर)

- (2) मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त चिह्न मोटर वाहन के आगे और पीछे चिपका दिया गया है।"
- (35) उक्त नियमों के नियम 55 में, -
- (i) उप-नियम (1) में, "अंतरणकर्ता और अंतरिती निवास करता है या जिसका कारोबार का स्थान है" शब्दों के स्थान पर "अंतरण प्रभावी हुआ है" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-
 - "(4) मोटर वाहनों के पोर्टल पर या मोटर वाहन के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर किसी भी मोटर वाहन के स्वामित्व के अंतरण को अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (7) के प्रयोजनार्थ मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचना माना जाएगा";
- (36) उक्त नियमों में, नियम 59 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्: -

- "59. निवास में परिवर्तन- (1) मोटर वाहन के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में निवास में परिवर्तन दर्ज करने के लिए आवेदन वाहन के स्वामी द्वारा प्ररूप 33 में, नियम 4 में विनिर्दिष्ट तरीके से पते के प्रमाण और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र और नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस के साथ एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो आवेदक द्वारा स्वयं पहुंच करके या सुविधा केंद्र की मदद से, या अन्यथा जमा करके किया जाएगा.;
- (2) अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1क) के अनुसरण में जमा किए गए आवेदन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) के प्रावधानों के अधीन ई-हस्ताक्षर के माध्यम से आवेदक की पहचान की पृष्टि करने के बाद प्रमाणित किया जा सकता है या हस्ताक्षर सत्यापन के कोई अन्य तरीके अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सत्यापन के द्वारा सत्यापित किया जाएगा।:
- (3) मोटर वाहनों के पोर्टल पर या मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तित पते की प्रविष्टि को धारा 49 की उप-धारा (6) के प्रयोजनार्थ मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचना माना जाएगा"
- (37) उक्त नियमों में, नियम 60 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "60. भाड़ा-क्रय समझौतों का पृष्ठांकन, आदि- (1) धारा 51 की उप-धारा (2) के अधीन आवश्यक मोटर वाहन के रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में किराया-खरीद, पट्टे या आडमान समझौते की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन प्ररूप 34 में रिजस्ट्रीकृत वाहन मालिक और वित्तदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तथा नियम 81 में यथा निर्दिष्टानुसार समुचित फीस के साथ करना होगा;
- (2) मोटर वाहनों के रजिस्ट्रीकरण के पोर्टल या मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में भाड़ा क्रय, पट्टे या आडमान समझौते के पृष्ठांकन को दर्ज करना धारा 51 की उप-धारा (12) के प्रयोजनार्थ मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचना माना जाएगा"
- (3) निरापेक्ष प्रमाणपत्र (एनओसी/बैंकर/एनबीएफसी/वित्तदाता द्वारा उस दिन से सात कार्य दिवस के भीतर जिसको ऋण प्रति संदाय पूर्ण हो, वाहन स्वामी को जारी किया जाएगा।
- (38) उक्त नियमों में, नियम 61 में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 - "(4) मोटर वाहनों के रजिस्ट्रीकरण के पोर्टल या मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर भाड़ा क्रय करार, पट्टे या आडमान समझौते को समाप्त करने को दर्ज करना धारा 51 की उप-धारा (12) के प्रयोजनार्थ मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचना माना जाएगा"
- (39) उक्त नियमों में, नियम 62 में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(4) फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से साठ दिन पहले नहीं किया जा सकता है;
- (5) जहां फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद किसी तारीख को फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है, तो नवीनीकरण फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रदान करने की तारीख से प्रभावी होगा:

परंतु जहां फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के पूर्व किसी तारीख को फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है, तो नवीनीकरण फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा"

(40) उक्त नियमों में, नियम 75 के स्थान पर निम्नलिखित नियमों को रखा जाएगा, अर्थातु:-

- **"75. मोटर वाहनों का राष्ट्रीय रजिस्टर -** (1) केंद्रीय सरकार मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए एक पोर्टल को अधिसूचित और उसका रख-रखाव करेगी, जिसमें प्ररूप 24 में प्रत्येक राज्य में रजिस्ट्रीकृत मोटर वाहनों से संबंधित सभी विवरणों का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का भंडार होगा;
- (2) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रण योग्य, साझा करने योग्य रूप में इस तरह के पोर्टल पर डेटा को रखा, संग्रहीत और संरक्षित किया जाएगा;
- (3) वे राज्यों, जिन्होंने मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर में निहित डेटा सिहत सभी सूचना केंद्रीय सरकार को प्रेषित नहीं की है, को मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ समानुक्रमण के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर केंद्रीय सरकार को प्ररूप 24 में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रमाण पत्र का राज्य रजिस्टर में निहित डेटा सिहत सभी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संसूचित करना होगा।
 - **75क. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरणों द्वारा मोटर यानों के राष्ट्रीय रजिस्टर की पहुंच और अद्यतन -** (1) मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल का उपयोग रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरणों या प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा पदेन ऐसे प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा हैं:
 - (i) मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहुंच;
 - (ii) अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार वास्तविक समय में, मोटर यानों से संबंधित किसी भी विवरण का इलेक्ट्रॉनिक रूप से अद्यतन;
 - (iii) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत किसी भी मोटर वाहन के संबंध में वास्तविक समय में एक नया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना;
- (2) मोटर यानों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर, हर समय, किसी भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल में निहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए गए या अंतिम अद्यतन की तारीख और समय प्रदर्शित करेगा;
- (3) उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल की पहुंच के लिए, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या ऐसे अधिकृत अधिकारियों को विधिमान्य लॉग इन प्रत्यय पत्र की आवश्यकता होगी;
- (4) केंद्रीय सरकार मोटर यानों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर किसी भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा बनाए गए या अद्यतन किए गए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण की रीति को विनिर्दिष्ट कर सकती है;
- **75ख. मोटर यानों के राष्ट्रीय रजिस्टर का अद्यतन करना रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरणों का कर्तव्य है-** प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे:
- (i) मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर मोटर वाहनों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विवरण में किसी भी परिवर्तन का इलेक्ट्रॉनिक रूप से वास्तविक समय में तुरंत अद्यतन करना।
- (ii) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत किसी भी मोटर वाहन के संबंध में वास्तविक समय में नया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना।
- **75ग- मोटर यानों के राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच -** मोटर यानों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल में संरक्षित और रखे गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहुंच ऐसी एजेंसियों या संगठनों द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करती है"
- (41) उक्त नियमों के, नियम 81 की सारणी में,
 - (i) क्रम सं. 4 के पश्चात्, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

4 क	रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी	क्रम सं. 4 के सामने	53क
	प्रमाण पत्र जारी करना या विस्तार करना	उल्लिखित शुल्क का आधा	
	। वस्तार करना		

- (ii) स्तम्भ सं. (2) में क्रम सं. 8 में "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तनों का अभिलेख" शब्दों के पश्चात् "अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1क) और उप-धारा (2) के अधीन परिवर्तन के सिवाय" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा";
- (42) उक्त नियमों में, नियम 112 के लिए, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "112. मोटर यान में परिवर्तन (1) अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन मोटर वाहन में कोई भी परिवर्तन या रीट्रोफीटमेंट जिसमें ईंधन में, आगे को धक्का देने वाली प्रणाली का रूपांतरण, इंजन का प्रतिस्थापन, चेसिस का प्रतिस्थापन या बॉडी संरचना में परिवर्तन शामिल है, लेकिन सीमित नहीं, का अनुपालन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों, मानकों और विशिष्टताओं के साथ होगा और यह निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा, -
 - (i) मूल उपस्कर निर्माता; या
 - (ii) यान निर्माता का ब्यौहारी; या
 - (iii) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने; या
 - (iv) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन:

परंतु चेसिस में परिवर्तन के लिए चेसिस के प्रतिस्थापन सहित किसी भी परिवर्तन की अनुमित दी जा सकती है जबिक नए चेसिस, एक ही प्रकार के हों, की आपूर्ति उसी निर्माता द्वारा की जाती है और चेसिस के रूपांतरण का अभिप्राय एक प्रकार के मोटर वाहन के लिए है और अन्य प्रकार के मोटर वाहन के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी;

- (2) अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निदेश के अनुसार सुरक्षा उपकरणों या किसी अन्य उपकरण के किसी भी परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त नियम के अधीन अधिसूचित मानकों और विनिर्देशों के अनुसार होगा और यह निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा-
 - (i) मूल उपकरण निर्माता; या
 - (ii) यान निर्माता का ब्यौहारी; या
 - (iii) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने; या
 - (iv) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन:
- (3) उप-नियम (1) के अधीन बनाए गए मोटर वाहन में किसी भी परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट का अनुपालन नियम 126 के अधीन अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा परीक्षण या मान्य किया जाएगा या यान के मूल उपकरण निर्माता या ब्यौहारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाएगा और उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करते हुए प्ररूप 22च में या तो पोर्टल पर या स्वामी को वास्तविक रूप में प्रमाण पत्र जारी करेगा:
- (4) उप-नियम (2) के अधीन बनाए गए सुरक्षा उपकरण या अन्य कोई उपकरण में किसी भी परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट नियम 126 के अधीन अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा उसके प्रकार से संबंधित नियम के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा और इसके अनुपालन के लिए या वाहन के मुल उपकरण निर्माता या ब्यौहारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने या राज्य

सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाएगा और उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करते हुए प्ररूप 22च में या तो पोर्टल पर या स्वामी को वास्तविक रूप में प्रमाण पत्र जारी करेगा"

- (43) उक्त नियमों के नियम 112 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- "112क. रूपांतरित वाहन को परिवर्तित करने के लिए मोटर वाहन में परिवर्तन (1) अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) के अधीन मोटर वाहन में किसी भी परिवर्तन को रूपांतरित यान में परिवर्तित करने का काम इस नियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों या लागू किसी अन्य नियम के अनुसार होगा और यह निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा-
 - (i) मूल उपकरण निर्माता; या
 - (ii) यान निर्माता का ब्यौहारी; या
 - (iii) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने; या
 - (iv) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन:
- (2) उप-नियम (1) के अधीन या तो मूल उपकरण निर्माता या वाहन निर्माता के ब्यौहारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन परिवर्तन करते हुए प्ररूप 22छ में अनुपालन का प्रमाण पत्र या तो पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्वामी को वास्तविक रूप में जारी करेगा।"
- (44) उक्त नियमों में, नियम 113 का लोप किया जाएगा।
- (45) उक्त नियमों में, नियम 114 के लिए निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "114. निष्कासक गैस, निष्कासक पाइप (1) प्रत्येक मोटर वाहन का निर्माण या उसे सुसज्जित ऐसे किया जाएगा कि इंजन से निष्कासक गैसों को न तो नीचे की ओर और न ही यान के बाईं ओर बाहर छोडा जाए, बल्कि ऐसा फिट किया जाए जिससे गैस यान की दाईं ओर या पीछे की ओर बाहर निकल सके:

परंतु विस्फोटक और ज्वलनशील सामान ले जाने वाले टैंकरों के मामले में निष्कासक पाइप को विस्फोटक के निरीक्षक के विनिर्देशानुसार जोड़ा जाना होगा:

परंतु यह और कि इसके अतिरिक्त उन वाहनों में, जहां निष्कासक गैसों को वाहन के दाईं ओर से बाहर छोड़ा जाता है, वहां थोड़ा नीचे कोण की अनुमति होगी, परंतु जब वाहन स्थिर और इंजन चल रहा हो, तो निष्कासक गैस धूल को ऊपर की ओर ना फेंके और किसी भी स्थिति में क्षैतिज करने के लिए पाइप का कोण 30 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए:

परंतु यह और भी कि जहां निष्कासक गैसों को यान के बाईं ओर बाहर छोड़ा जाता है, वहां निष्कासक पाइप का झुकाव नीचे की ओर 30 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए और ऊर्ध्वाधर सतह पर बाईं दिशा में 30 अंश, जिसमें वाहन की मध्य रेखा भी शामिल है, होना चाहिए, परंतु वाहन के स्थिर होने और इंजन के चालू रहने पर निष्कासक गैसें धूल ना उड़ाएं:

परंतु यह और भी कि कृषि ट्रैक्टर के मामले में, [ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज] निष्कासक पाइप उपलब्ध कराया जा सकता है और इस पाइप की निकासी की दिशा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह भारतीय मानक आईएस 12239 (भाग 1): 1996 के अनुसार ट्रैक्टर चालक के सिर के ऊपर या उसके बाजू से निष्कासक गैसों के संपर्क में नहीं आना चाहिए।

परंतु यह और भी कि निर्माण उपस्कर यान के मामले में ऊर्ध्वाधर निष्कासक पाइप लगाया जा सकता है और इस पाइप की निकासी उस दिशा में होनी चाहिए कि यान चालक निष्कासक गैसों के संपर्क में न आए;

- (2) इस उप-नियम के प्रारंभ होने की तारीख से ही निर्माण उपस्कर यान और कंबाइन हारवेस्टर सहित किसी भी मोटर यान का निष्कासक पाइप ईंधन टैंक और इंजन से जुड़ने वाली ईंधन लाइन से 35 मिलीमीटर के भीतर स्थित नहीं होगा;
- (3) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान का निष्कासक पाइप इस प्रकार लगाया जाएगा या परिरक्षित किया जाएगा कि यान के किसी अन्य भाग से उस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ न फेंका जाएं और यान पर इससे किसी ज्वलनशील पदार्थ की निकटता के कारण आग लगने की संभावना न हो"

- (46) उक्त नियमों में, नियम 144 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "144क. रूपांतरित यान की रिकॉर्डिंग इस अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) के अधीन जब किसी बीमित मोटर यान को रूपांतरित यान में परिवर्तित किया जाता है, तो मालिक को, जिस तारीख पर नियम 47ख के अधीन रिजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में समर्थन किया जाता है, उस तारीख से चौदह दिनों के भीतर यान रिजिस्ट्रीकरण के समर्थन प्रमाण पत्र के साथ उस अधिकृत बीमाकर्ता को सूचित करेगा, जिसने किए गए रूपांतरण के विवरण का बीमा किया है, ताकि प्राधिकृत बीमाकर्ता अपने रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव कर सके। "
- (47) उक्त नियमों में, अध्याय IX के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"अध्याय X- प्रकीर्ण

170. पोर्टल को स्थापित करना और इसका रखरखाव – (1) इस अधिनियम और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के उपबंधों के प्रभाव में लाने के लिए, केन्द्रीय सरकार का पोर्टल इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख् से सभी राज्यों द्वारा प्रयोग किया जाएगा:

परंतु राज्य सरकार, राज्य द्वारा बनाए गए पोर्टल जो राष्ट्रीय रजिस्टर के साथ जुड़ा होगा और वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन होगा, का उपयोग कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, स्थापना और रखरखाव के कार्य को किसी पोर्टल, निगमित निकाय या अभिकरण को अधिकृत कर सकेगी।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र है।

- 171. भुगतान की विधि (1) अधिनियम या उसके नियमों के अनुसार नियम 32 और नियम 81 के अधीन किसी शुल्क की रसीद सहित एक पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कोई शुल्क या प्रभार, किसी भी प्ररूप या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाने या जारी करने या कोई रसीद या धन का भुगतान और धारा 200 के तहत अपराध के जुर्माने की राशि की प्राप्ति के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य तरीके से भुगतान किया जाएगा;
- 172. दस्तावेजों का प्रमाणीकरण (1) एक पोर्टल के माध्यम से दायर सभी प्ररूप, आवेदन और दस्तावेज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) के प्रावधानों के अधीन ई-हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणित किए जा सकते हैं या अधिसूचित हस्ताक्षर या केंद्रीय सरकार द्वारा सत्यापन के किसी अन्य तरीके से सत्यापित किए जा सकते हैं, जैसे किसी सुविधा केंद्र पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी प्ररूप, आवेदन या दस्तावेज को जमा करने की सुविधा का सत्यापन;
- (2) सभी अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, परिमट, संस्वीकृति, अनुमोदन और पृष्ठांकन और कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या दोनों, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों के अधीन यथा निर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन के किसी अन्य तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जा सकता है;
 - (48) उक्त नियमों में, प्ररूप 1 का लोप किया जाएगा।
 - (49) उक्त नियमों में. प्ररूप 1क में: -
 - (क) क्रम संख्यांक 1, अर्थात्: "आवेदक का नाम", के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"1क. का बेटा / पत्नी / बेटी

1ख. स्थायी पता

1ग. जन्म की तारीख"

- (ख) क्रम संख्या 3 (छ) (ख) के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों "आवेदक द्वारा प्ररूप 1 में उसकी शारीरिक योग्यता के बारे में दी गई घोषणा संलग्न है" का लोप किया जाएगा।
- (ग) "चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र" शीर्षक में, शब्दों "और इसलिए, मैं प्रमाणित करता हूं, मेरे सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार वह चालन अनुज्ञप्ति धारण कने के लिए चिकित्सक द्रष्ट से उपयुक्त है/ उपयुक्त नहीं है" के पश्चात् "रूपांतरित यान से अन्यथा यान चलाने के लिए" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;"
- (50) उक्त नियमों के प्ररूप 2 में, -
- 1. सारणी में क्रम सं.1, "वाहनों का वर्ग (सीओवी): नए शिक्षु अनुज्ञप्ति या नए चालन अनुज्ञप्ति के लिए लागू" से संबंधित -
 - (क) शब्दों "गैर परिवहन वाहन (एलएमवी एनटीवी) के रूप में" का लोप किया जाएगा;
 - (ख) शब्दों "अमान्य गाड़ी", शब्दों के लिए "रूपांतरित वाहन" शब्द रखा जाएगा;
 - (ग) शब्दों "मोटर यान के रूप में हल्के परिवहन यान" को लोप किया जाएगा;
 - (घ) स्पष्टीकरण में, क्रम सं. 3 में "परिवहन यान या" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- 2. सारणी में "आवेदक का व्यक्तिगत विवरण (कैपिटल लेटर्स में)" से संबंधित, क्रम संख्या 2, के पश्चात्, पंक्ति

पहला नाम मध्य नाम अंतिम नाम

के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा,

का बेटा/पत्नी/बेटी जन्म की तारीख पहचान चिह्न

3. "मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन घोषणा" शीर्षक के पूर्व, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

<u>"शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में स्व घोषणा"</u>

- (क) क्या आप मिर्गी रोग से पीड़ित हैं या किसी कारण से अचानक बेहोशी या चक्कर आने की शिकायत से पीड़ित हैं? हां/नही
- (ख) क्या आप प्रत्येक आंख (या यदि आपके पास पांच वर्ष से कम अवधि के लिए मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है और यदि आप उक्त पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् एक आंख की दृष्टि खो चुके हैं और यदि आवेदन स्टीयरिंग व्हील के बाजू में एक बाहरी दर्पण लगाए गए परिवहन वाहन के अलावा एक हल्के मोटर वाहन को

चलाने के लिए है) या एक आंख से दिन की साफ रोशनी में 25 मीटर की दूरी पर (चश्मे से, अगर पहना जाता है) एक मोटर कार की नंबर प्लेट में अंतर करने में सक्षम हैं? हां/नही

- (ग) क्या आप हाथ या पैर खो चुके हैं या आप हाथ या पैर की मांसपेशियों की किसी भी खराबी से पीडि़त हैं? हां/नही
- (घ) क्या आप रतौंधी से पीड़ित हैं? हां/नही
- (ड.) क्या आप इतने बधिर हैं कि साधारण ध्विन संकेत सुनने में असमर्थ हैं (और यदि आवेदन श्रवण यंत्र (हियरिंग ऐड) लगाए हुए या उसके बगैर हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए है)? हां/नहीं
- (च) क्या आप किसी अन्य बीमारी या अपंगता से पीड़ित हैं, जिससे आपके द्वारा मोटर वाहन चलाना जनता के लिए खतरे का कारण बन सकता है, यदि हां, तो विवरण दें। हां / नहीं

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण और उसमें की गई घोषणाएं सत्य हैं।

(आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

टिप्पण: (1) एक आवेदक, प्रश्न (क), (ग), (ड.), (च) और (छ) में से किसी का भी "हां" या नहीं (ख) और (घ) में से किसी का "नहीं" उत्तर देता है, तो उसे पूर्ण विवरणों के साथ अपने उत्तरों की व्याख्या करनी चाहिए और इसके अतिरिक्त संबंधित सुचना देने की आवश्यकता हो सकती है।"

- (51) उक्त नियमों में, प्ररूप 3 में, शब्द "विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या मार्गों में," का लोप किया जाएगा।;
- (52) उक्त नियमों में, प्ररूप 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्ररूप 8

[नियम 17क देखें]

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वर्ग के स्थायी समर्पण और यानों की वर्ग हेतु आवेदन का प्ररूप

सेवा में,
लाइसेंस प्राधिकारी
पासपोर्ट आकार के फोटो के लिए स्थान

मैं एतद्वारा अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित वर्ग के स्थायी समर्पण अथवा वाहनों की वर्ग के लिए आवेदन करता हूं, जैसा भी लागू हो:

- (क) गियररहित मोटर साइकिल
- (ख) गियरयुक्त मोटर साइकिल
- (ग) रूपांतरित वाहन
- (घ) हल्के मोटर वाहन
- (ङ) परिवहन वाहन
- (च) अन्य, जो उपर्युक्त वर्ग में शामिल नहीं हैं

आवेदक का नाम:
पता:
जन्म की तारीख:
चालन अनुज्ञप्ति संख्या:
तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान";

(53) उक्त नियमों में, प्ररूप 10 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप 10क

[नियम 23(1) और (3) देखें]

ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर का प्ररूप

- 1. (क) चालन अनुज्ञप्ति संख्या और जारी करने की मूल तारीख
- (ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसने लाइसेंस जारी किया
- (ग) अधिकारी का नाम और पदनाम जिसने चालन परीक्षा ली है और अनुज्ञप्ति धारक द्वारा परीक्षा पास करने की तारीख
- 2. चालन अनुज्ञप्ति धारक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण:
 - (क) धारक का नाम (अभिभावक के नाम के साथ, यदि अवयस्क हो)
 - (ख) जन्म की तारीख
 - (ग) शैक्षणिक योग्यता
 - (घ) स्थायी पता
 - (3) अस्थायी पता/कार्यालय का पता (यदि कोई हो)
 - (च) बाद में पता का परिवर्तन
 - (छ) दिए गए अनुज्ञप्ति के लिए यान का वर्ग और प्रकार
 - (ज) तारीख के साथ यानों की अनुवृद्धि (यदि कोई हो)
 - (झ) अनुज्ञप्ति की समाप्ति और आगे नवीनीकरण की तारीख (अनुज्ञप्ति नवीकृत करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी के ब्यौरे सहित)
- (ञ) चालन अनुज्ञप्ति धारक के संबंध में, चालन अनुज्ञप्ति को रोकने/निलबंन/निरस्त करने, अयोग्यता, जुर्माना, रद्दीकरण, इत्यादि का ब्यौरा
- (ट) मोबाइल नंबर
- (ठ) चालन अनुज्ञप्ति धारक का फोटो और हस्ताक्षर";
- (54) उक्त नियमों में, प्ररूप 19 में, सारणी में,
- (क) स्तम्भ (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्तम्भ और उसकी प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

''ब्यौहारी का नाम और पता	
(1क)"	

- (ख) स्तम्भ (2) में ''और यदि यान रजिस्ट्रीकृत है तो यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक भी'' का लोप किया जाएगा
- (ग) स्तम्भ (3) के पश्चात, निम्नलिखित स्तम्भ और उसकी प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''मोटर यान की चेसिस संख्या	
(3क)"	

- (घ) स्तम्भ (7) में ''परिसर में वापस आने के घंटे'' शब्दों के पश्चात्, "या गन्तव्य तक पहुंचने'' शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।
- (55) उक्त नियमों में, प्ररूप 20 में: -
 - (क) शीर्षक में, "मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण" शब्दों के पश्चात "या अस्थायी रजिस्ट्रीकरण" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;
 - (ख) शीर्षक में, "(नियम 47 देखिए)", शब्दों और अंकों के पश्चात, "और नियम 53क" शब्दों और अंकों को अंत:स्थापित किया जाएगा;
 - (ग) पैरा 39 के पश्चात् "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने वाले व्यक्ति के स्थान पर शब्द "स्वामी के नमूना हस्ताक्षर के साथ ब्यौहारी" रखा जाएगा;
 - (घ) "मोटर यान के जांच का प्रमाणपत्र" टिप्पण और शब्दों के पश्चात् "जिसकी बाडी खरीदी गई चेसिस से अलग से गढ़ी गई है" शब्दों को रखा जाएगा;
- (56) उक्त नियमों में, प्ररूप 20 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

''प्ररूप 20ख

[नियम 53ख(2) देखें]

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के विस्तार के लिए आवेदन

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न	
यान मालिक का नाम	
अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के प्रदान की तारीख	
प्ररूप 23ख के अनुसार अस्थायी रजिस्ट्रीकरण र्व	ो वैधता की मूल अवधि से -
मांगे गए विस्तार की अवधि:	
से तक	
से तक	

विस्तार के लिए कारण: बॉडी के साथ फिट किए जाने के लिए/ यान मालिक के नियंत्रण से परे किसी अप्रत्याशित		
परिस्थितियों के कारण		
शुल्क अदायगी ब्यौरा:		
तारीख		
यान स्वामी के हस्ताक्षर";		
(57) उक्त नियमों में, प्ररूप 21 में, शब्दों और स्तंभों ''प्रमाणित किया जाता है कि (यान के ब्रांड का नाम)" से प्रारंभ		
होने और "यान के साथ/ अवक्रय करार/ पट्टा करार/ आडमान के अधीन धारित है" से समाप्त के स्थान पर निम्नलिखित		
को रखा जाएगा,		
'भाग <u> I- स्वामी द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के मामले में</u>		
प्रमाणित किया जाता है किसामा हिसारे द्वारा		
(तारीख) को आपूर्ति की जा चुकी है।		
भाग II- ब्यौहारी द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के मामले		
प्रमाणित किया जाता है किसामा हिसारे द्वारा		
(तारीख) को बेचने के लिए सहमति हो चुकी है और हमारे द्वारा		
<u>भाग III- चेसिस खरीद के मामले में</u>		
प्रमाणित किया जाता है कि(चेसिस) को हमारे द्वारा		
को(तारीख) को अस्थायी रूप से आपूर्ति की जा चुकी है।		
भाग IV- भाग ।, भाग ।। और भाग ।।। के मामले में लागू		
क्रेता का नाम		
मोबाइल नंबर		
पुत्र/पत्नी/पुत्री		
पता (स्थायी)		
(अस्थायी)		
यह यान भाड़ा-क्रय/पट्टे/आडमान सहित करार के अधीन है'';		
(58) उक्त नियमों में, प्ररूप 22ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -		
" प्ररूप 22 ग		

[(नियम **47**क(1) देखें]

परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट / रूपांतरण के लिए अनुरोध और अनुमति

भाग ।

(मोटर यान स्वामी द्वारा जमा किए जाने वाला)

मैं एतद्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार अपने मोटर यान में परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट करने हेतु पूर्व-अनुमति के लिए अनुरोध करता हूं:

मैं इस बात को प्रस्तुत करता हूं कि मैं सीएमवीआर, 1989 के अधीन प्रावधानों के अनुसार अनुमत परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आवश्यक अनुपालन दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में रूपांतरण के लिए मोटर यान प्रस्तुत किया जाएगा।

स्थान:	
तारीख:	(स्वामी के हस्ताक्षर)
	पदनाम:
	मोबाइल नंबर
	भाग II
	(रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला)
करने और / या रेट्रोफिट की	या वाला मोटर यान, इसके द्वारा सीएमवीआर, 1989 के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन । अनुमति नहीं है। रेट्रोफिटमेंट / परिवर्तन पूरा होने के पश्चात, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में सत्यापन र यान का उत्पादन किया जाएगा।
2. अनुमति प्राप्त नर्ह	ों करने के मामले में इसके कारणों का उल्लेख करें
स्थान: -	
 तारीख :-	– (प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)
	नाम:
	मोबाइल नंबर

प्ररूप 22घ

[(नियम 47ख(1) देखें]

परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट का पृष्ठांकन

भाग I

(मोटर यान स्वामी द्वारा जारी किए जाने वाला)

मैं एतद्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार अपने मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट करने हेतु पृष्ठांकन के लिए अनुरोध करता हूं:

क्र. सं.	मद	ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	मोटर यान के ब्यौरे	
1.1	मोटर यान मेक और मॉडल	
1.2	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
1.3	चेसिस नंबर (वैकल्पिक)	
1.4	इंजन नंबर / मोटर नंबर (बैट्री चालित यानों के मामले में) (वैकल्पिक)	
2.	परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट ब्यौरे	
2.1	परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट की प्रकृति (बॉडी संरचना / ईंधन स्रोत / चेसिस प्रतिस्थापन /इंजन	
	प्रतिस्थापन)	
2.2	किए गए परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य के संक्षिप्त ब्यौरे	
3	लागू नियमों के साथ परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट का अनुपालन	
3.1	परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के अनुपालन के ब्यौरे	
	(क) कंपनी का नाम और पता के ब्यौरे (नाम, पता, संपर्क ब्यौरे, इत्यादि) जिसने	
	परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य किया है	
	(ख) सीएमवीआर, 1989 के नियम 112 के अधीन लागू रूपविधान (प्ररूप सं. 22च) में	
	लागू अनुपालन ब्यौरे	
	(सीएमवीआर 1989 के नियम 112 के अधीन अनुमत ओई निर्माता या उसके ब्यौहारी या	
	अधिकृत कार्यशाला द्वारा किए गए मामले में लागू)	
4.	परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के लिए संदर्भ संख्या की अनुमति	

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित रूपांतरण सही है।

[भाग II—खण्ड 3(i)]

स्थान: -	
तारीख :-	(स्वामी का हस्ताक्षर)
	नाम:
	मोबाइल नंबर

भाग ॥

(रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा भरा जाने वाला)

सम्यक रूप से परिवर्तित / रेट्रोफिटेड रजिस्ट्रीकरण सं	ख्या वाले मोटर यान को सत्यापित कर दिया गया है
और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्टि के पृष्ठांकन के लिए स्व	त्रीकृति दे दी गई है।
स्थान: -	
तारीख :-	(प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)
	पदनाम:
	नाम:

प्ररूप 22ड.

[(नियम 47ख(2) देखें]

रूपांतरण के पृष्ठांकन के लिए अनुरोध

भाग ।

(मोटर यान स्वामी द्वारा जारी किए जाने वाला)

मैं एतद्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार अपने मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में रण के पष्ठांकन के लिए अनरोध करता हं

रूपातरण	के पृष्ठाकन के लिए अनुरोध करता हू:					
क्र. सं.	मद	ब्यौरे				
(1)	(2)	(3)				
1.	मोटर यान के ब्यौरे					
1.1	मोटर यान मेक और मॉडल					
1.2	रजिस्ट्रीकरण संख्या					
1.3	चेसिस नंबर (वैकल्पिक)					
1.4	इंजन नंबर / मोटर नंबर (बैट्री चालित यानों के मामले में) (वैकल्पिक)					
2.	रूपांतरण ब्यौरे					
2.1	रूपांतरण का स्वरूप (बॉडी संरचना / ईंधन स्रोत / चेसिस प्रतिस्थापन /इंजन प्रतिस्थापन)					
2.2	संक्षिप्त ब्यौरे					
3	प्रयोक्ता (दिव्यांगजन) के ब्यौरे जिसके लिए यान रूपांतरित किया जाना है, यदि कोई हो					
3.1	रूपांतरित यान के भावी प्रयोक्ता का नाम					
3.2	रूपांतरित यान के भावी प्रयोक्ता का पता					
3.3	रूपांतरित यान के भावी प्रयोक्ता का मोबाइल नंबर					
3.4	भावी प्रयोक्ता का दिव्यांगता के ब्यौरे					
4	लागू नियमों के साथ रूपांतरण का अनुपालन					
4.1	रूपांतरण के अनुपालन के ब्यौरे					
	(क) कंपनी (नाम, टेलीफोन नंबर और पता इत्यादि) जिसने रूपांतरण कार्य किया है					
	(ख) सीएमवीआर, 1989 के नियम 112क के अधीन लागू रूपविधान (प्ररूप सं. 22छ) में					
	अनुपालन ब्यौरे					
	(सीएमवीआर 1989 के नियम 112क के अधीन अनुमत ओई विनिर्माता या उसके					
	ब्यौहारी या अधिकृत कार्यशाला द्वारा किए गए मामले में लागू)					
	, , , , ,					

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित रूपांतरण सही है।	
स्थान: -	
तारीख :-	(स्वामी का हस्ताक्षर)
	नाम:
	मोबाइल नंबर
भाग ॥	

सम्यक रूप से रूपांतरित मोटर यान को सत्यापित किया गया है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रविष्टि के पृष्ठांकन के लिए स्वीकृति दे दी गई है, इस शर्त के साथ कि प्रयोक्ता (विकलांग व्यक्ति) ऐसे यान के लिए चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात इस यान का उपयोग करेगा।

(रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा भरा जाने वाला)

स्थान: -	
तारीख :-	(प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)
	नाम:

प्ररूप 22च [(नियम 47ख(3),112(3), 112(4), 126) देखें] परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के लिए अनुपालन रिपोर्ट

(कंपनी / कार्यशाला द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, जिसने या तो पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट किया है, या स्वामी के लिए वास्तविक रूप में किया है और स्वामी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में पृष्ठांकन के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा)

मैं एतद्वारा नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार किए गए परिवर्तन /रेट्रोफिटमेंट के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं:-

क्र. सं.	मद	ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	मोटर यान के ब्यौरे	
1.1	मोटर यान मेक और मॉडल	
1.2	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
1.3	चेसिस नंबर (वैकल्पिक)	
1.4	इंजन नंबर / मोटर नंबर (बैट्री चालित यानों के मामले में) (वैकल्पिक)	
1.5	मोटर यान स्वामी का नाम, पता और मोबाइल नंबर	

2.	किए गए परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट ब्यौरे	
2.1	परिवर्तन की प्रकृति (बॉडी संरचना / ईंधन स्रोत / चेसिस प्रतिस्थापन /इंजन प्रतिस्थापन)	
2.2	किए गए परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य के संक्षिप्त ब्यौरे	
2.3	सीएमवी नियमों से लागू नियमों में परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के लिए लागू नियम	
2.4	किए गए परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के लिए लागू नियमों के विनिर्दिष्ट मानक	
2.5	प्राधिकृत जांच एजेंसी द्वारा प्ररूप टाइप अनुमोदन में परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के संबंध में यथास्थिति अनुपालन रिपोर्ट या स्व-प्रमाणन रिपोर्ट	संलग्न किया जाना है
3.	उस फर्म का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे जिसने विषय परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य किया हो	

यह प्रमाणित किया जाता है कि परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य को इस तरह से किया गया है कि इसमें परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट से संबंधित नियमों के विशिष्ट प्रावधान का पालन किया गया है और इसमें मोटर यान के रूपांतरित यान में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

स्थान:	(परिवर्तन/रेट्रोफिटमेंट करने वाले फर्म की प्राधिकृत
	हस्ताक्षरी)
तारीख:	_ व्यक्ति का नाम:
	परिवर्तन/रेट्रोफिटमेंट करने वाली फर्म का नाम
	मोबादल नंबर-

प्ररूप 22छ [(नियम 47ख (3), 112क(2), 126) देखें]

मोटर यान के रूपांतरण के लिए अनुपालन रिपोर्ट

(कंपनी / कार्यशाला द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, जिसने या तो पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मोटर यान पर रेट्रोफिटमेंट किया है, या स्वामी के लिए वास्तविक रूप में किया है और स्वामी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में पृष्ठांकन के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा)

क्र. सं.	मद	ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	मोटर यान के ब्यौरे	
1.1	मोटर यान मेक और मॉडल	

1.2	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
1.3	चेसिस नंबर (वैकल्पिक)	
1.4	इंजन नंबर / मोटर नंबर (बैट्री चालित यानों के मामले में) (वैकल्पिक)	
1.5	मोटर यान स्वामी का नाम, पता और मोबाइल नंबर	
2.	रूपांतरित यान में बदलाव के लिए मोटर वाहन में किए गए परिवर्तन के ब्यौरे	
2.1	रूपांतरित यान में बदलाव के लिए परिवर्तन की प्रकृति (बॉडी संरचना, यान	
	नियंत्रण)	
2.2	रूपांतरित यान में बदलाव के लिए मोटर यान में किए गए परिवर्तन के संक्षिप्त ब्यौरे	
2.3	सीएमवी नियमों से लागू नियमों में परिवर्तन के लिए लागू नियम	
2.4	किए गए परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के लिए लागू नियमों के विनिर्दिष्ट मानक	
2.5	प्राधिकृत जांच एजेंसी द्वारा प्ररूप टाइप अनुमोदन में परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के संबंध में यथास्थिति अनुपालन रिपोर्ट या स्व-प्रमाणन रिपोर्ट	संलग्न किया जाना है
3.	उस फर्म का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे जिसने विषय परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य किया हो	

यह प्रमाणित किया जाता है कि परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य को इस तरह से किया गया है कि इसमें मोटर यान के रूपांतरण कार्य से संबंधित नियमों के विशिष्ट प्रावधान का अनुपालन किया गया है और इसमें मोटर यान के रूपांतरित यान में केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

स्थान:	(रूपांतरित यान में बदलाव के लिए मोटर यान में परिवर्तन कार्य करने वाली फर्म की प्राधिकृत हस्ताक्षरी)
तारीख:	व्यक्ति का नाम:"
(59) उक्त नियमों में, प्ररूप 23क के पश्चात, निम्नलिखि [नि	ात प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: - "प्ररूप 23ख नेयम 53ख(1) और (3) देखें]
अस्थायी र	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न	
आवेदन नंबर	
यान स्वामी का नाम	
पुत्र/पत्नी/पुत्री	
पता	
मोबाइल नंबर	

यान का विवरण	
यान का वर्ग	
निर्माता का नाम	
निर्माता के मॉडल का नाम	
बॉडी का प्रकार	
बैठने की क्षमता	
रंग	
इंजन नंबर	
चेसिस नंबर	
स्थान, जहां यान स्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत ह	होगा
अस्थायी रजिस्ट्रीकरण लेने का कारण	बॉडी निर्माण के लिए / अन्य राज्य में आरटीओ पर स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए
टिप्पण: ऊपर उल्लिखित मोटर यान अवक्रय/	पट्टा करार/आडमान के पक्ष में
मोटर यान अधिनियम, 1988 की ध	ारा 43 के प्रावधानों के अधीन, ऊपर उल्लिखित यान अस्थायी रूप से
रजिस्ट्रीकृत हो गया है और अस्थायी रजिस्ट्री	करण की विधिमान्यता सेतक है।
इस प्रमाणपत्र को बढ़ाया गया:	
से तक	
तारीख	
से तक	
तारीख	
भुगतान की गई फीस का ब्यौरा:	
भुगतान किए गए कर का ब्यौरा:	
यान स्वामी का नमूना हस्ताक्षर रजिस्ट्री	कर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर";
(60) उक्त नियमों में, प्ररूप 24 के स्थान पर	र, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -
	"प्ररूप 24

मोटर यान का रजिस्टर / मोटर यान का राष्ट्रीय रजिस्टर [नियम 49 और 75(1) तथा 75(3)]

मोटर यान के	मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण /	अवक्रय/पट्टा/ आडमान करार	रजिस्ट्रीकरण	टिप्पणियां
रजिस्ट्रीकरण का	स्वामित्व के अंतरण / पते के	की विशिष्टियां	प्रमाणपत्र पर	
विवरण	परिवर्तन पर रजिस्ट्रीकृत		सभी प्रकार के	

		स्वामी की विशिषि	^{डे} टयां			पृष्ठांकन से संबंधित प्रविष्टियां	
विशिष्टियां	ब्यौरे	पूरा नाम पुत्र/ पत्नी / पुत्री, वर्तमान पता / स्थायी पता / मोबाइल नंबर / नामनिर्देशिती, नामनिर्देशिती के साथ संबंध	नमूना हस्ताक्षर	वित्तपोषक का पूरा नाम और पता के साथ ऐसे करार के तहत पृष्ठांकन और निरस्तीकरण की पृष्टि	वित्तपोषक का नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	वित्तपोषक का पूरा नाम और पता के साथ ऐसे करार के तहत पृष्ठांकन और निरस्तीकरण की पुष्टि	दूसरी प्रति जारी किया जाना (रजिस्ट्रीकृत स्वामी / वित्तपोषक) की जैसे कि निलंबन / निरस्तीकरण; और प्रदान की गई छूट, अन्य राज्य में किए गए परिवर्तन को हटाए गए यान का अनापत्ति प्रमाण पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1. रजिस्ट्रीकरण संख्या
- 2. रजिस्ट्रीकरण की तारीख

2क. क्रय करने की तारीख

3. यान स्वामी का नाम

पुत्र / पत्नी / पुत्री

पूरा पता

(स्थायी)

(अस्थायी)

मोबाइल नंबर

- 4. ब्यौहारी का नाम और पता
- 5. पूर्व रजिस्ट्रीकरण संख्या की विशिष्टियां, अर्थात्,
 - (क) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का नाम
 - (ख) समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण संख्या
- 6. मोटर यान है
 - (क) नया
 - (ख) भूतपूर्व सैनिक
 - (ग) आयातित

- 7. यान का वर्ग
- 8. निर्माता का नाम
- 9. बॉडी का प्रकार
- 10. विनिर्माण का मास और वर्ष
- 11. सिलंडरों की संख्या
- 12. चेसिस संख्या
- 13. बैट्टी चालित यानों के मामले में इंजन संख्या या मोटर संख्या
- 14. इंजन में प्रयुक्त ईंधन
- 15. अश्व शक्ति
- 16. ठोस क्षमता
- 17. निर्माता का वर्गीकरण
- 18. व्हील बेस (मिमी)
- 19. सबको सम्मिलित करते हुए बैठने की क्षमता
- 19क. खड़े होने की क्षमता
- 19ख. शयन क्षमता
- 20. रंग या बॉडी, विंग्स, अग्र भाग का रंग
- 21. लदान रहित भार (किग्रा)
- 22. रजिस्ट्रीकृत सकल यान भार (किग्रा)
- 22क. सकल संयुक्त भार, यदि लागू हो (किग्रा)
- 22ख. फ्लोर एरिया (वर्गमी)
- 22ग. विक्रय राशि
- 22घ. उत्सर्जन मानक
- 22ड.. ऊँचाई (मिमी)
- 22च. लंबाई (मिमी)
- 22छ. चौड़ाई (मिमी)
- 23. मोटर कैब से भिन्न परिवहन यानों के मामले में अतिरिक्त विशिष्टियां धुरी की संख्या
- विवरण सं. और टायरों का आकार, आगे वाली धुरी, पीछे वाली धुरी,

कोई अन्य	
टैंडम धुरी	

2. रजिस्ट्रीकृत धुरी भार
आगे वाली धुरीिकग्रा
पीछे वाली धुरीिकिग्रा
कोई अन्य धुरीिकग्रा
टैंडम धुरी किग्रा
2क. ओवरहैंग (मिमी)
2ख. रीयरहैंग (मिमी)
24. वैकल्पिक या अतिरिक्त अर्ध ट्रेलर या किसी संलग्न यान के साथ रजिस्ट्रीकृत अर्ध ट्रेलरों की अतिरिक्त विशिष्टियां
1. बॉडी का प्रकार
2. लदान रहित भार (किग्रा)
3. प्रत्येक धुरी पर टायरों की संख्या और विवरण तथा आकार
4. प्रत्येक यान के संबंध में रजिस्ट्रीकृत धुरी भार (किग्रा)
25. बीमा प्रमाणपत्र/कवर नोट संख्या तारीख यान से तक विधिमान्य द्वारा जारी (बीमा कंपनी का नाम और पता)
25क. क्या अवक्रय/पट्टे/आडमान के अधीन है, यदि हां, तो वित्तपोषक की विशिष्टियां, इत्यादि
26. सभी मोटर यान करों और भुगतान किए गए शुल्क का विवरण
27. रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता से तक
27क. फिटनेस की विधिमान्यता से तक
(परिवहन / वाणिज्यिक यानों के लिए ''फिटनेस के अनुसार'' सुरक्षित रखा जाने वाला)
28. उस निरीक्षण अधिकारी का नाम और पदनाम जिसने रजिस्ट्रीकरण के लिए यान को अनुकूल होने को प्रमाणित किया है। (पूर्णत: निर्मित बॉडी से भिन्न यानों के मामले में)
29. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पदनाम तथा हस्ताक्षर";
(61) उक्त नियमों के प्ररूप 25 में, शीर्षक में, शब्द "एक मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन का
प्ररूप", के पश्चात शब्द "परिवहन वाहन से भिन्न", शब्द का लोप किया जाएगा।
(62) उक्त नियमों के प्ररूप 34 में, 'पंजीकृत किए जाने वाले व्यक्ति और ।'
शब्दों और कोष्ठक के पश्चात् '(वित्तपोषक का नाम और पूरा पता भरें)' शब्दों के पहले निम्नलिखित अंत:स्थापित
किया जाएगा, अर्थात्:-

[फा. सं. आरटी-11036/60/2019-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप खंड (i) की अधिसूचना संख्यांक सा. का. नियम 590(अ.) तारीख 2 जून 1989 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से तारीख 11 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 173(अ.) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

G.S.R. 240(E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 336 (E), dated the 29th May, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th May, 2020;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (q) of section 27, sub-sections (2) and (6) of section 8, sub-section (2) of section 9, sub-section (2) of section 11, sub-sections (2) and (4) of section 15, sub-section (1A) of section 19, section 25A, sub-sections (1), (3), (8) and (10) of section 41, section 43, sub-section (1) of section 44, sub-section (1A) of section 49, sub-section (1) of section 50, section 62B, section 63, clause (p) of section 64 and section 211A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force with effect from 01 st day of April, 2021.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred to as the said rules), in rule 2,-
 - (a) after clause (cc), the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(cd) "Facilitation Centre" means any physical facility recognised by the Central Government or a State Government or both as the case may be, containing necessary resources and authorised persons to facilitate access to and use of Portals by any person, either for a charge or otherwise;";
 - (b) in clause (e), after the words "appended to these rules", the following shall be inserted, namely "including a corresponding electronic form made available on Portal";
 - (c) For clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -
 - "(i) Category L1 means a motor cycle without gear or a light two wheeled powered vehicle with maximum speed 70 kilometres per hour and engine capacity not exceeding 50cc if fitted with a thermic engine or motor power not exceeding 4.0 kilowatts if fitted with electric motor;";
 - (d) Clause (ia) shall be omitted;
 - (e) For clause (ib), the following clause shall be substituted, namely: -

- "(ib) Category L2 means a motorcycle or a light two wheeled powered vehicle with engine capacity exceeding 50cc if fitted with a thermic engine or motor power exceeding 4.0 kilowatts if fitted with electric motor;".
- 3. In the said rules, in rule 5, in sub-rule (1), -
 - (a) for the words "be accompanied by", the word "include" shall be substituted.
 - (b) for the words "in Form 1", the words "appended to Form 2" shall be substituted.
 - (c) after the words "medical certificate in Form 1A issued", the following words shall be inserted, namely: "electronically on the Portal"
 - (d) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: "Provided that every application for renewal of a driving license to drive a vehicle other than a transport vehicle shall be accompanied by a medical certificate in Form 1A issued electronically on the Portal by a registered medical practitioner referred to in sub-section (3) of section 8 of the Act, in case the applicant has attained the age of forty years."
- 4. In the said rules, in rule 5, sub-rule (2) shall be omitted.
- 5. In the said rules, in rule 5, -
 - (i) in sub-rule (3), -
 - (a) for the words "one year", the words "six months" shall be substituted;
 - (b) after the words "the applicant", the following words shall be inserted, namely: "to be submitted electronically on the Portal.";
 - (ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 - "(4) Every medical certificate issued by a registered medical practitioner referred to in sub-section (3) of section 8 of the Act in Form 1A, shall only be issued electronically on the Portal.".
- 6. In the said rules, rule 8 shall be omitted.
- 7. In the said rules, for rule 8A, the following rule shall be substituted, namely: -
- **"8A. Minimum training required for driving E-rickshaw or E-cart.** -Every applicant for obtaining a license to drive E-rickshaw or E-cart shall undergo training for a period of at least ten days, the curriculum for which may be prescribed by the State Government and shall obtain a certificate of training from any institution authorised by the State Government."
- 8. In the said rules, in rule 9, -
 - (a) in the heading, for the words "Educational qualifications", the words "Minimum training and language comprehension requirement" shall be substituted;
 - (b) In sub-rule (2), the words "the minimum educational qualification or" shall be omitted;
 - (c) In sub-rule (2), for the words "the licensing authority in whose jurisdiction", the words "any licensing authority in the State in which" shall be substituted.
- 9. In the said rules, in rule 10, -
 - (a) after the words "shall be accompanied by", the following shall be inserted, namely: "the following documents and fees, submitted electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre";
 - (b) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely;";"(a) a medical certificate in Form 1A in case of an application for learner's license to drive a transport vehicle;";
 - (c) in clause (b), the words "three copies of" shall be omitted;
 - (d) in clause (e), after the words "proof of residence", the words "and age" shall be inserted;
 - (e) clauses (f) and (g) shall be omitted;
 - (f) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(h) in case of an application for a learner's license to drive an adapted vehicle, a medical certificate in Form 1A along with a certificate of disability, if any.".

- 10. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely: -
 - "11. Conditions to be satisfied for learner's license. -(1) Within seven days of submitting an application under rule 10, every applicant for a learner's licence shall complete a tutorial on safe driving, electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre.
 - (2) The tutorial on safe driving shall contain information on the following matters, namely: -
 - (a) the traffic signs, traffic signals and the rules of the road regulations made under section 118 of the Act;
 - (b) the duties of a driver when his vehicle is involved in an accident resulting in the death or bodily injury to a person or damage to property of a third party;
 - (c) the precautions to be taken while passing an unmanned railway crossing;
 - (d) the documents he should carry with him while driving a motor vehicle.
 - (3) After undertaking the tutorial on safe driving, every applicant shall undertake a test within seven days of submitting an application under rule 10, electronically on a Portal, subject to availability, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre consisting of questions of objective type as specified in Annexure VI, to test the applicant's knowledge and understanding of the matters specified in sub-rule (2).
 - (4) Applicant shall be deemed to have successfully passed the test specified under sub-rule (3), if the applicant correctly answers at least 60 per cent. of the questions put to him.
 - (5) Nothing contained in sub-rule (1) and (3) shall apply to the following class of applicants, namely: -
 - (a) the holder of an effective driving licence;
 - (b) the holder of a driving licence which has expired;
 - (c) the holder of a learner's licence issued or reissued prior to the commencement of these rules;
 - (d) the holder of a certificate to the effect of the possession of adequate knowledge and understanding of the matters referred to in rule 24, issued by any driving school or establishment referred to in section12 of the Act.".
- 11. In the said rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely: -
 - "13. Form of learner's licence. (1) Subject to sub-section (4) of section 8 of the Act, every learner's licence shall be issued electronically by the licensing authority in printable Form 3, immediately upon the successful satisfaction of the conditions specified under rule 11.
- (2) Pursuant to sub-section (6) of section 8 of the Act, learner's license may be issued in electronic form by the licensing authority after verifying the identity of the applicant through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Central Government.".
- 12. In the said rules, in rule 14, -
 - (i) in sub-rule (1), -
 - (a) in clause (c), the words "three copies of" shall be omitted;
 - (b) in clause (d), after the words, "in Form 1A" the following words shall be inserted, namely: "in case of an application for license to drive a transport vehicle;";
 - (c) in clause (e), before the words, "a driving certificate" the following shall be inserted, namely: "in the case of an application for driving license to drive a transport vehicle,";
 - (d) in clause (f), after the words "proof of residence", the words "and age" shall be inserted;
 - (e) clause (g) shall be omitted;

- (ii) in sub-rule (2), -
 - (a) after the words "shall be made in Form 4A", the following words shall be inserted, namely"electronically, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre, or
 otherwise":
 - (b) in clause (c), the words, "three copies of" shall be omitted.
- 13. In the said rules, in rule 15, -
 - (i) in sub-rule (1), after the words "for a period of at least thirty days", the words ", except in case of a test of competence required for renewal of driving license" shall be inserted;
 - (ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 - "(1A) No person shall appear for the test of competence to drive an adapted vehicle unless he brings a duly registered adapted vehicle for the driving test."
- 14. In the said rules, in rule 16, in sub-rule (4), after the words "issued by a licensing authority shall be", the following words shall be inserted, namely: -
- "issued either electronically or otherwise".
- 15. In the said rules, in rule 17, -
 - (i) in sub-rule (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: -
- "(e) save as otherwise provided in rule 6, a medical certificate in Form 1A in case of an application for addition to license to drive a transport vehicle;";
 - (ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
- "(3) Pursuant to sub-section (2) of section 11 of the Act, the license with additions may be issued by the licensing authority after verifying the identity of the applicant through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Central Government."
- 16. In the said rules, after rule 17, the following rule shall be inserted, namely: -
 - "17A. Permanently surrendering a class or classes of vehicles from the driving licence. -(1) Any person holding a driving license to drive one or more classes of motor vehicles, whether effective or expired, may apply, to any licensing authority in the State in which he resides or carries on business, for permanently surrendering a class or classes of vehicles from the driving license, in Form 8 along with the driving licence held by the applicant and appropriate fee as specified in rule 32.
 - (2) Within seven days from the receipt of the application under sub-rule (1), the licensing authority shall delete the class or classes of motor vehicle from the applicant's driving license, for which the application has been made.
 - (3) For the purposes of surrendering a class or classes of motor vehicles for which the license has expired, its renewal shall not be required.".
- 17. In the said rules, in rule18, -
 - (i) in sub-rule (1), -
 - (a) for the words, "the licensing authority having jurisdiction over the area" the words, "any licensing authority in the State" shall be substituted;
 - (b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -
 - "(d) in the case of an application for renewal of license to drive a transport vehicle the medical certificate in Form1A or in the case of an application for renewal of license to drive a non-transport vehicle if the applicant has attained the age of forty years;";

- (ii) in sub-rule (3), the first and second proviso shall be substituted by the following, namely: "Provided that recording of the renewal of driving license on the Portal for driving license or the Portal for
 National Register of Driving License shall be deemed to be sufficient intimation to the licensing authority
 who issued the driving license for the purpose of sub-rule (3).";
- (iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
- "(4) If the application for renewal of a driving license is made after the date of its expiry, the licensing authority shall not require an effective learner's license to drive the vehicle of the type to which the application relates.".
- 18. In the said rules, after rule 18, the following rule shall be inserted, namely: -
- "18A. Issuance of duplicate driving licence. -In case of an application for issuance of a duplicate driving licence which has been lost, torn or mutilated such that the identification or authenticity of the document cannot be reasonably established, the licensing authority receiving such application shall, in case the driving license details are available on the Portal, issue the duplicate driving licence:

Provided that if the driving license details are not available on the Portal, the licensing authority receiving the application for issuance of a duplicate driving license shall issue the driving license on confirmation from the original licensing authority, electronically through the Portal.".

- 19. In the said rules, in rule 21, clauses (9), (16) and (25) shall be omitted.
- 20. In the said rules, after rule 21, the following rule shall be inserted, namely: -
 - **"21A. Placing names in public domain**. -(1) Subject to sub-section (2) and (3) of section 19, upon revocation of a driving licence by an order passed by the licensing authority under sub-section (1A) of section 19 of the Act,
 - (i) if an appeal is made by any person aggrieved by the order against the order under sub-section (3) of section 19 of the Act and the appeal is dismissed by the appellate authority or
 - (ii) if an appeal is not made by any person aggrieved within one month from the date of the order passed by the licensing authority then, such licensing authority may display the particulars of the holder of such licence on the Portal, in a separate section titled 'Revocation of Driving License under sub-section (1A) of section 19 of the Act', in a machine readable electronic, printable, shareable form in portable document format (pdf), for access by the general public.
 - (2) For the purposes of sub-rule (1), the following particulars about the holder of the revoked driving license shall be displayed on the Portal for six months:
 - (i) The name;
 - (ii) the driving licence number which has been revoked.".
- 21. In the said rules, for rule 23, the following rule shall be substituted, namely: -
 - **"23. National Register of Driving Licenses. -**(1) The Central Government shall notify and maintain a Portal for National Register of Driving Licenses, which shall be a repository of electronic records containing all particulars pertaining to licenses issued and renewed in each State in Form10A.
 - (2) Data on such Portal shall be retained, stored and preserved in a machine readable electronic, printable, shareable form.
 - (3) Those states which have not transmitted all information including contained data in the State Register of Driving Licenses to the Central Government, shall electronically transmit all information including contained data in the State Register of Driving Licenses in Form 10A to the Central Government within six months from the date of commencement of the notification for collating electronic records on the Portal for National Register of Driving Licenses.
 - **23A.** Access and Updation of the National Register of Driving Licenses by Licensing Authorities. -(1) The Portal for National Register of Driving Licenses shall be used by Licensing Authorities or such authorised officers designated by the State Government in each State to, -
 - (i) access electronic records available on the Portal for National Register of Driving Licenses;
 - (ii) electronically update any particulars pertaining to licenses, in real time, in accordance with the provisions of the Act and these rules;
 - (iii) create a new electronic record in real time, in respect of any driving license issued or renewed by

the licensing authority.

- (2) The Portal for National Register of Driving Licenses shall, at all times, display the date and time of the creation of or last updation made to any electronic record contained in the Portal for National Register of Driving Licenses, by any licensing authority.
- (3) In order to access the Portal for National Register of Driving Licenses for the purposes of sub-rule (1), any licensing authority or such authorised officers designated by the State Government shall require valid login credentials.
- (4) The Central Government may specify the manner of authentication of every electronic record created or updated by any licensing authority on the Portal for National Register of Driving Licenses.
- 23B. Duty of licensing authorities to Update National Register of Driving Licenses. -Every licensing authority shall be responsible for,-
 - electronically updating any change in particulars pertaining to licenses on the Portal for National Register of Driving Licenses immediately, in real time;
 - (ii) creating a new electronic record in real time, in respect of any driving license issued or renewed by him.
- **23C.** Access to National Register of Driving Licenses. -Electronic records preserved and retained in the Portal for National Register of Driving Licenses may be accessed by such agencies or organisations as the Central Government may deem fit.".
- 22. In the said rules, in rule 27, in clause (a), after the words, "a register in Form 14", the words "electronically on a Portal" shall be inserted.
- 23. In the said rules, in rule 32, in the table, -
 - (i) in serial no. 9, -
 - (a) in the column purpose, for the words "the grace period", the words "one year from the date of expiry of driving license" shall be substituted;
 - (b) in the column amount, for the words "reckoned from the date of expiry of the grace period shall be levied", the words "shall be levied after one year from the date of expiry of driving license.";
 - (ii) in serial no. 13, for the column purpose, after the words "any application for", the words "permanent surrender of class or classes of motor vehicles from the driving license," shall be inserted;
 - (iii) after serial number 13, the following serial number and entries thereto shall be inserted, namely: -

"14	Issue of duplicate license	Four Hundred Rupees	18(4)	28(2)(c)"
	1	1	- ()	- ()()

- 24. In the said rules, in rule 34, in sub-rule (2), for clause (b) the following clause shall be substituted, namely: -
 - "(b) adapted vehicle;".
- 25. In the said rules, in rule 41, after clause (h), the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(i) for proceeding to or returning from the manufacturing plant, regional sales office, godown, work shop, authorised dealer or any place of sale; or
 - (j) for the purpose of export till the place of embankment".
- 26. In the said rules, in rule 43, -
 - (i) in sub-rule (1), -
 - (a) after the words "Every holder of a trade certificate shall maintain a register", the word "electronically"

- shall be inserted;
- (b) for the words "in duplicate which shall be in a bound book, with pages numbered serially", the words "on the Portal for motor vehicles" shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (2), for the word "duplicate", the word "printed" shall be substituted;
- (iii), in sub-rule (3), -
- (a) after the words "The holder of a trade certificate shall, at the end of a trip,", the word "electronically" shall be inserted;
- (b) the brackets and words "(both original and duplicate), and the register and the duplicate" shall be omitted. 27, In the said rules, in rule 47, -
 - (1) in sub-rule (1), -
 - (a) for the words "An application for registration of a motor vehicle shall be made in Form 20 to the registering authority within a period of seven days from the date of taking delivery of such vehicle, excluding the period of journey and shall be accompanied by—" the following shall be substituted, namely: -
 - "An application for registration of a motor vehicle shall be made in Form 20 to any registering authority in the State in which the owner has the residence or place of business where the vehicle is normally kept:
 - (i) in case of motor vehicle, purchased as a fully built motor vehicle, which is being registered in a State other than the State in which the dealer is situated, shall be made by the owner, within a period of seven days from the date of taking delivery of such vehicle, excluding the period of journey or;
 - (ii) in case of a motor vehicle, purchased as a chassis to which body is fabricated separately, which is being registered in a State other than the State in which the dealer is situated, shall be made by the owner, after the body is fabricated separately or;
 - (iii) in case of motor vehicle, purchased as a fully built motor vehicle, which is being registered in the same State in which the dealer is situated, shall be made by the dealer, prior to the delivery of the vehicle or;
 - (iv) in case of a motor vehicle, purchased as a chassis to which body is fabricated separately, which is being registered in the same State in which the dealer is situated, shall be made by the dealer, after the body is fabricated separately;
 - (v) Form 20 shall be accompanied by the following documents and fees, submitted electronically on a Portal for registration of motor vehicles, -";
 - (b) after clause (ia), the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(ib) proof of fitment of vehicle tracking device for public service vehicles;";
 - (c) clause (j) shall be omitted;
 - (2) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 - "(1A) For the purposes of sub-rule (1), in case the application for the registration is made by the dealer under clauses (iii) or (iv) of sub-rule (1), the buyer of such vehicle shall submit the required documents specified under sub-clauses (b), (e) and (k) of sub-rule (1) to the dealer, electronically or otherwise, to facilitate the dealer in making the application under sub-rule (1).";
 - (3) in sub-rule (3), "https://www.vahan.nic.in/makermodel/" shall be omitted.
 - (4) in sub-rule (6), "https://www.vahan.nic.in/makermodel/" shall be omitted.

- 28. In the said rules, after rule 47, the following rules shall be inserted, namely: -
- "47A. Prior Approval for Alteration or Retrofitment. -(1) Where the owner of a motor vehicle intends to alter or retrofit the motor vehicle in accordance with sub-rules (1) and (3) of rule 112, the owner shall seek the prior approval of the registering authority, either electronically through the Portal or in physical form, in Form 22C.
 - (2) The registering authority shall, within seven days from the date of receipt of Part I of Form 22C grant the prior approval in Part II of Form 22C, either electronically on the Portal or in physical form to the owner, if the proposed alteration is permissible under notified conditions, standards and specifications issued under sub-section (1) of section 52 of the Act.
 - (3) In case the registering authority does not approve or reject the application for prior approval within seven days from the date of receipt of Form 22C, the prior approval shall be deemed to be granted.

47B. Endorsement of alteration or retrofitment.- (1) Where any motor vehicle is altered or retrofitted as per sub-rules (1) or (2) of rule 112, the owner of the vehicle shall make an application, within fourteen days from the date of issuance of certificate of compliance, for making an entry of alteration or retrofitment in the certificate of registration of the motor vehicle or for recording any change in the particulars contained in the certificate of registration as a result of any alteration or retro fitment, to any registering authority in the State in which he has the residence or place of business where the vehicle is normally kept or in which the alteration is made, in Form 22D electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre, or otherwise, which shall be accompanied by the certificate of registration and the appropriate fee as specified in rule 81:

Provided that in case of an application for endorsement of alteration or retrofitment, for any alteration or retrofitment made as per sub-rule (2) of rule 112, pursuant to directions issued by the Central Government under sub-sections (1A) and (2) of section 52, no fees shall be payable under rule 81:

Provided further that in case no application for prior approval is made under sub-rule (1) of rule 47A, the application for endorsement of alteration or retrofitment shall be made within fourteen days from the date of making of the alteration or retrofitment;

- (2) Where any motor vehicle is altered to convert it into an adapted vehicle, as per rule 112A, the owner of the vehicle shall make an application for making an entry of the adapted vehicle in the certificate of registration, in the State in which he has the residence or place of business where the vehicle is normally kept or in which the alteration is made, in Form 22E electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre, or otherwise, along with the certificate of registration;
- (3) Upon receipt of an application under sub-rule (1) or (2), the registering authority shall, subject to receipt of certificate of compliance in Form 22F or Form 22G, make an entry of alteration or retrofitment or adapted vehicle in the certificate of registration, within seven days from the date of receipt of the application;
- (4) A registering authority other than the original registering authority making any such endorsement under sub-rule (3) shall intimate the original registering authority about the endorsement:

Provided that recording of the entry of the alteration in the certificate of registration on the Portal for motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient communication to the original registering authority.".

- 29. In the said rules, for rule 48, the following rule shall be substituted, namely: -
 - "48. Issue of certificate of registration for a fully built motor vehicle.- (1) On submission of an application by a dealer for registration of a fully built new motor vehicle in accordance with the second proviso of subsection (1) of section 41 or, by the owner for registration of a fully built new motor vehicle if it is being registered in State other than the State in which the dealer is situated, and payment of fees and taxes in accordance with rule 47 on the Portal, for registration of a fully built motor vehicle, a registration mark shall be generated immediately.
 - (2) The vehicle manufacturer or dealer of the vehicle manufacturer shall affix the mark of registration as per rule 50.
 - (3) A certificate of registration, in the name of the owner, in Form 23A shall be issued electronically.
 - (4) The date of registration of motor vehicle shall be the date of generation of the registration mark under sub-rule (1).".

- 30. In the said rules, after rule 48, the following rules shall be inserted, namely: -
 - "48A. Issue of certificate of registration for a motor vehicle whose body has been fabricated separately to the purchased chassis. (1) On submission of an application by the dealer or owner for registration of a motor vehicle whose body has been fabricated separately to the purchased chassis, and payment of fees and taxes in accordance with rule 47 on the Portal subject to the inspection of the motor vehicle by the registering authority and sub-section (1) of section 62A of the Act, a registration mark shall be generated and a certificate of registration in Form 23A shall be issued electronically within two days from the date of receipt of the application.
 - (2) The vehicle manufacture or dealer of the vehicle manufacturer shall affix the mark of registration as per rule 50.
 - (3) The date of registration of motor vehicle shall be the date of generation of the registration mark under subrule (1):
 - Provided that where the certificate of registration pertains to a transport vehicle it shall be issued electronically to the registered owner only after recording the certificate of fitness in Form 38 within the period of two working days from the date of receipt of such an application.

48B. Production of vehicle at the time of registration. - A motor vehicle sold by an authorised dealer shall not require production before a registering authority for the purposes of registration for the first time if it is a fully built motor vehicle:

Provided that an officer not below the rank of motor vehicle inspector of the Motor Vehicles Department, may randomly inspect any vehicle in the inventory at the premises of the dealer.".

- 31. In the said rules, for rule 49, the following rule shall be substituted, namely: -
 - **"49. Registration records to be maintained by the registering authority.-** Every registering authority shall electronically maintain in Form 24, a register of motor vehicles registered by it under section 41 of the Act and of motor vehicles of other States for which new registration marks are assigned by it under sub-section (2) of section 47 of the Act and shall also enter in such record under the respective registration numbers, of motor vehicles temporarily registered by it under section 43 and shall also enter the temporary registration mark, all changes made with reference to the provisions of sub-section (10) or sub-section (14) of section 41, sub-section (5) of section 49, sub-section (6) of section 50, sub-sections (1), (2), (3) and (5) of section 51, (1), (1A), (2) and (4) of section 52, orders of suspension under section 53 and order of cancellation under sections 54 and 55 of the Act."
- 32. In the said rules, In rule 52, -
 - (i) in sub-rule (1), for the words "the registering authority in whose jurisdiction", the words "any registering authority in the State in which" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (2), -
 - (a) after the words "renew the certificate of registration", the words ", for a period of five years" shall be inserted:
 - (b) after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely: -

"Provided further that in case where the certificate of fitness is granted on a date before the expiry of a certificate of registration, the renewal shall be effective from the date of expiry of certificate of registration for a period of five years:

Provided also that recording of the renewal of the certificate of registration on the Portal for motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient intimation to the original registering authority for the purpose of sub-section (10) of section 41 of the Act.";

(iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

- "(4) In case of transport vehicles, the validity of certificate of registration shall be co-terminus with the validity of certificate of fitness.".
- 33. In the said rules, in rule 53, in sub-rule (2), for the words "the last registering authority", the words "any registering authority in the State in which the vehicle was last registered" shall be substituted.
- 34. In the said rules, after rule 53, the following rules shall be inserted, namely: -
 - "53A. Application for temporary registration. An application for temporary registration in case the motor vehicle is being registered in a state other than the state in which the dealer is situated or in case of a purchased chassis on which the body has to be fabricated separately, shall be made electronically on the Portal by the owner to any registering authority or other authority as may be prescribed by the State Government, in Form 20, and shall be accompanied by the documents required to be submitted along with an application for registration of motor vehicles as per sub-rule (1) of rule 47 along with the appropriate fee as specified in rule 81.
 - **53B.** Issue of temporary certificate of registration. (1) The temporary registration certificate shall be generated electronically in Form 23B immediately on receipt of application for temporary registration along with requisite fees.
 - (2) Any temporary registration granted under sub-rule (1) shall be valid for an initial period of six months from the date of its issue:
 - Provided that where the motor vehicle registered under sub-rule (1), is a chassis to which a body has not been attached and the same is detained in a workshop beyond the said period of six months for being fitted with a body or due to any unforeseen circumstances beyond the control of the owner, the registering authority may, on submission of application in Form 20B and payment of appropriate fee as specified in rule 81 by the owner, extend the initial period of validity one or more times by 30 days each, as the registering authority may deem fit.
 - (3) Upon granting an extension of the initial period of validity of certificate of temporary registration by any further period or periods under sub-rule (2), the registering authority shall make an appropriate entry in Form23B.
- **53C.** Assignment of temporary registration marks. (1) The authority granting a temporary certificate of registration shall assign a temporary registration mark to the vehicle, for example: -
 - T- Represent temporary certificate;
 - 08- Month of issuance of temporary certificate of registration 20- Year of issuance of temporary certificate of registration; AB- Represent State Code;
 - 1234- Serial Number of Temporary Registration;
 - AB- Alphabet of Temporary Registration (Except O and I).
 - (2) The owner shall ensure that the said mark is affixed to the front and rear of the motor vehicle.".
 - 35. In the said rules, in rule 55, -
 - (i) in sub-rule (1), for the words "transferor and the transferee reside or have their places of business", the words "transfer is effected" shall be substituted;
 - (ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 - "(4) Recording of the transfer of ownership of any motor vehicle on the Portal for motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient intimation to the original registering authority for the purpose of sub-section (7) of section 50 of the Act.".
 - 36. In the said rules, for rule 59, the following rule shall be substituted, namely: -

- **"59. Change in residence. (1)** An application for recording a change in the residence in the certificate of registration of a motor vehicle shall be made by the owner of the vehicle in Form 33, accompanied by the certificate of registration and proof of address in the manner specified in the rule 4 and the appropriate fee as specified in rule 81, submitted electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre, or otherwise.
- (2) Pursuant to sub-section (1A) of section 49 of the Act, the application submitted in sub-rule (1) may be authenticated after verifying the identity of the applicant through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Central Government.
- (3) Recording of the entry of the altered address in the certificate of registration, on the Portal for motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient communication to the original registering authority for the purpose of sub-section (6) of section 49 of the Act.".
- 37. In the said rules, for rule 60, the following rule shall be substituted, namely: -
 - "60. Endorsement of hire-purchase agreements, etc.- (1) An application for making an entry of hire-purchase, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration of a motor vehicle required under sub-section (2) of section 51 of the Act shall be made in Form 34 duly signed by the registered owner of the vehicle and the financier and shall be accompanied by the certificate of registration and the appropriate fee as specified in rule 81.
 - (2) The recording of endorsement of hire purchase agreement, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration on the Portal for registration of motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient intimation to the original registering authority for the purpose of sub-section (12) of section 51 of the Act.
 - (3) The No Objection Certificate (NOC) shall be issued to the vehicle owner by the Banker or Non-Banking Financial Company or financier within seven working days, from the day on which loan repayment is completed.".
- 38. In the said rules, in rule 61, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 - "(4) The recording of termination of hire purchase agreement, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration on the Portal for registration of motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient intimation to the original registering authority for the purpose of Section sub-section (12) of section 51 of the Act.".
- 39. In the said rules, in rule 62, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely: -
 - "(4) The application for renewal of certificate of fitness may be made not more than sixty days before the date of expiry of the certificate of fitness.
- (5) Where the renewal of certificate of fitness is granted on a date after the expiry of the certificate of fitness, the renewal shall be effective from the date of grant of the certificate of fitness:
 - Provided that where the renewal of certificate of fitness is granted on a date before the expiry of a certificate of fitness, the renewal shall be effective from the date of expiry of certificate of fitness.".
- 40. In the said rules, for rule 75, the following rule shall be substituted, namely: -
 - "75. National Register of Motor Vehicles. (1) The Central Government shall notify and maintain a Portal for National Register of Motor Vehicles, which shall be a repository of electronic records containing all particulars pertaining of motor vehicles registered in each State in Form24.
 - (2) Data on such Portal shall be retained, stored and preserved in a machine readable electronic, printable, shareable form as may be notified by the Central Government.
 - (3) those states which have not transmitted all information including contained data in the State Register of Motor Vehicles to the Central Government, shall electronically transmit all information including

contained data in the State Register of Certificate of Registration in Form 24 to the Central Government within six months from the date of publication of this notification for collating electronic records on the Portal for National Register of Motor Vehicles.

75A. Access and Updation of the National Register of Motor Vehicles by Registering Authorities. – (1) The Portal for National Register of Motor Vehicles shall be used by Registering Authorities or such authorised officers designated by the State Government in each State to, -

- (i) access electronic records available on the Portal for National Register of Motor Vehicles;
- (ii) electronically update any particulars pertaining to motor vehicles, in real time, in accordance with the provisions of the Act and these rules:
- (iii) create a new electronic record in real time, in respect of any motor vehicle, registered by the registering authority.;
 - (2) The Portal for National Register of Motor Vehicles shall, at all times, display the date and time of the creation of or last updation made to any electronic record contained in the Portal for National Register of Motor Vehicles, by any registering authority.
 - (3) In order to access the Portal for National Register of Motor Vehicles for the purposes of sub-rule (1), any registering authority or such authorised officers designated by the State Government shall require valid login credentials.
 - (4) The Central Government may specify the manner of authentication of every electronic record created or updated by any registering authority on the Portal for National Register of Motor Vehicles.

75B. Duty of registering authorities to Update National Register of Motor Vehicles. - Every registering authority shall be responsible for, -

electronically updating any change in particulars pertaining to registration of motor vehicles on the Portal for National Register of Motor vehicles immediately, in real time;

(i) creating a new electronic record in real time, in respect of any motor vehicle registered by the registering authority.

75C. Access to National Register of Motor Vehicles. - Electronic records preserved and retained in the Portal for National Register of Motor Vehicles may be accessed by such agencies or organisations as the Central Government may specify.".

- 41. In the said rules, in rule 81, in the table,
 - (i) after serial no. 4, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

4A Issue or extension of temporary certificate of registration	Half of the fee mentioned against Serial No. 4	53A	
--	---	-----	--

- (ii) in serial no. 8, in column number (2), after the words "Recording alteration in the certificate of registration", the words ", except for alteration made under sub- section (1A) and sub-section (2) of section 52 of the Act" shall be inserted".
- 42. In the said rules, for rule 112, the following rule shall be substituted, namely: -
- "112. Alterations to motor vehicle. -(1) Any alteration or retrofitment to a motor vehicle under sub-section (1) of section 52 of the Act including but not limited to change in fuel, conversion of propulsion system, replacement of engine, replacement of chassis or modification in body structure, shall be in compliance with the conditions, standards and specifications notified by the Central Government, and shall be carried out by either, -
 - (i) original equipment manufacturer; or

- (ii) dealer of the vehicle manufacturer; or
- (iii) workshop authorised by the State Government; or
- (iv) service station authorised by the State Government:

Provided that for alterations to chassis, any alteration involving replacement of chassis may be permitted provided the new chassis is supplied by the same manufacturer, is of the same type and the conversion of chassis meant for one type of motor vehicle shall not be permitted for another type of motor vehicle.

- (2) Any alteration or retrofitment of safety equipment or any other equipment pursuant to any direction issued by the Central Government under sub-section (1A) of section 52 of the Act shall be in compliance with the standards and specifications notified by the Central Government under the appropriate rule, and shall be carried out by either, -
 - (i) original equipment manufacturer; or
 - (ii) dealer of the vehicle manufacturer; or
 - (iii) workshop authorised by the State Government; or
 - (iv) service station authorised by the State Government.
- (3) The compliance of any alteration or retrofitment to a motor vehicle made under sub-rule (1), shall be tested and validated by testing agencies notified under Rule 126 or self-certified by either the original equipment manufacturer or dealer of the vehicle manufacturer or workshop authorised by the State Government or service station authorised by the State Government, making the alteration under sub-rule (1), which shall issue a certificate of compliance in Form 22F, either electronically on the Portal or in physical form to the owner.
- The compliance of any alteration or retrofitment of safety equipment or other any other equipment made under sub-rule (2), shall be type approved by testing agencies notified under rule 126 in accordance with the relevant rule and the compliance of such alteration or retrofitment shall be self-certified by either the original equipment manufacturer or dealer of the vehicle manufacturer or workshop authorised by the State Government or service station authorised by the State Government, making the alteration under sub-rule (1), which shall issue a certificate of compliance in Form 22F, either electronically on the Portal or in physical form to the owner."
- 43. In the said rules, after rule 112, the following rules shall be inserted, namely: -
- "112A. Alteration to Motor Vehicle for conversion into Adapted Vehicle. -(1) Any alteration to a motor vehicle under sub-section (2) of section 52 of the Act, to convert it to an Adapted Vehicle shall be in compliance with the conditions notified by the Central Government under this rule or any other applicable rule, and shall be carried out by either, -
 - (i) original equipment manufacturer; or
 - (ii) dealer of the vehicle manufacturer; or
 - (iii) workshop authorised by the State Government; or
 - (iv) service station authorised by the State Government.
- (2) Either the original equipment manufacturer or dealer of the vehicle manufacturer or workshop authorised by the State Government or service station authorised by the State Government, making the alteration under sub-rule (1), shall issue a certificate of compliance in Form 22G, either electronically on the Portal or in physical form to the owner."
- 44. In the said rules, rule 113 shall be omitted.
- 45. In the said rules, for rule 114, the following rule shall be substituted, namely: -
- "114. Exhaust gases and exhaust pipes. (1) Every motor vehicle shall be so constructed or equipped that the exhaust gases from the engine are discharged neither downward nor to the left side of the vehicle and shall be so fitted as to allow the gases to escape to the right side or rear of the vehicle:

Provided that in the case of tankers carrying explosives and inflammable goods, the fitment of exhaust pipe shall be according to the specification of the Inspector of Explosives:

Provided further that, in the vehicles where the exhaust gases are discharged to the right of the vehicle, slight downward angle shall be permitted, provided the exhaust gases do not kick up any dust when the vehicle is stationary and engine running and in any case the angle of the pipe to the horizontal should not be more than 30 degrees:

Provided also that where the exhaust gases are discharged to the left of the vehicle the inclination of exhaust pipe should not cross 30 degrees in downward and 30 degrees in left direction against the vertical plane which includes the vehicle centre line, provided the exhaust gases do not take up any dust when the vehicle is stationary and engine running:

Provided also that in the case of agricultural tractors, [vertical or horizontal] exhaust pipe may be provided and outlet of this pipe should be so directed that the driver of the tractor is not exposed to exhaust gases by locating the outlet over or to the side of head-level of the driver as per Indian Standards IS 12239 (Part 1):1996:

Provided also that in the case of construction equipment vehicle vertical exhaust pipe may be fitted and outlet of this pipe shall be so directed that the driver of the vehicle is not exposed to exhaust gases.

- (2) On and from the date of commencement of this sub-rule, no exhaust pipe of a motor vehicle including construction equipment vehicle and combine harvester shall be located within a distance of 35 millimeters from the fuel line connecting to the fuel tank and engine.
- (3) The exhaust pipe of every public service vehicle shall be so fitted or shielded that no inflammable material is thrown upon it from any other part of the vehicle and that it is not likely to cause a fire through proximity to any inflammable material on the vehicle.".
- 46. In the said rules, after rule 144, the following rule shall be inserted, namely: -
- "144A. Recording of adapted vehicle. -When an insured motor vehicle is altered into an adapted vehicle under subsection (2) of section 52 of the Act, the owner shall, within fourteen days from the date on which the endorsement of the adapted vehicle is made by the registering authority in the certificate of registration under rule 47B, intimate to the authorised insurer who has insured the vehicle the particulars of the adaptions made accompanied by the endorsed certificate of registration, so that the authorised insurer may make necessary changes in his record."
- 47. In the said rules, after Chapter IX, the following chapter shall be inserted, namely: -

"Chapter X- Miscellaneous

170. Setting up and Maintenance of a Portal: - (1) For bringing into effect the provisions of the Act and the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the portal of the Central Government shall be used by all the States from the date of publication of this notification:

Provided that State Government may use the portal maintained by the State which shall be linked with the National Register and shall be updated on real-time basis.

(2) The Central Government may authorise the function of setting up and maintaining any Portal, to body corporate or an agency.

Explanation. - For the purpose of this rule, National Informatics Centre is the agency authorised by the Central Government.

- **171. Method of Payment.** Any fee or charges for filing, creation or issue of any form or electronic document or any receipt or payment of money on a Portal including receipt of fees under rule 32 and rule 81 and receipt of amount for compounding of offences under section 200, in pursuance of the Act or these rules, shall be paid by means of credit card, debit card, internet banking, money vault, UPI or any other mode as approved by the Central Government.
- **171. Authentication of Documents.** (1) All forms, applications and documents filed through a Portal may be authenticated through e-signature such as Aadhaar authenticated as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Central Government such as verification by an authorised person facilitating the submission of any form, application or document at a Facilitation Centre.
- (2) All licenses, registrations, fitness certificate, permits, sanctions, approvals and endorsements and any other document as may be specified by the Central Government or State Government or both, as the case may be, shall be created, issued or granted electronically, through digital signature certificate or through e- signature as specified under

the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or any other mode of signature or verification as notified by the Central Government.

- 48. In the said rules, Form 1 shall be omitted.
- 49. In the said rules, in Form 1A, -
 - (a) after serial number 1, namely "Name of the applicant", the following shall be inserted, namely:"1A. Son/ wife/ daughter of
 - 1B. Permanent Address
 - 1C. Date of Birth"
 - (b) after serial number 3(g)(b), the following words "Declaration made by the applicant in Form I as to his physical fitness is attached" shall be omitted.
 - (c) In the heading, Certificate of Medical Fitness, after the words "And, therefore, I certify that, to the best of my judgment, he is medically fit/not fit to hold a driving license" the words "to drive a vehicle other than an adapted vehicle" shall be inserted.
- 50. In the said rules, in Form 2, -
- 1. in the table, in serial number 1 relating to Class of Vehicles (COV): Applicable for New Learner's License or New Driving License, -
 - (a) the words "as Non Transport Vehicle (LMV NTV)" shall be omitted;
 - (b) for the words, "Invalid Carriage", the words, "Adapted Vehicle" shall be substituted;
 - (c) the words "Light Motor Vehicle as Transport Vehicle" shall be omitted;
 - (d) in the explanation, in serial number 3. the words "a transport vehicle or" shall be omitted.
- 2. in the table after serial number 2 relating to Personal Details of the Applicant (in Capital Letters), after the row, namely: -

First Name	Middle Name	Last Name
------------	-------------	-----------

, the following shall be inserted,

"

Son/wife/daughter of	
Date of birth	
Identification mark	

3. before the heading, "Declaration Under sub-section (2) of section 7 of the Motor Vehicles Act, 1988", the following shall be inserted, namely: -

"Self-Declaration as to Physical Fitness

- (a) Do you suffer from epilepsy or from sudden attacks of loss of consciousness or giddiness from any cause? Yes/No
- (b) Are you able to distinguish with each eye (or if you have held a driving licence to drive a motor vehicle for a period of not less than five years and if you have lost the sight of one eye after the said period of five years and if the application is for driving a light motor vehicle other than a transport vehicle fitted with an outside mirror on the steering wheel side) or with one eye, at a distance of 25 metres in good day light (with glasses, if worn) a motor car number plate? Yes/No
- (c) Have you lost either hand or foot or are you suffering from any defect of muscular power of either arm or leg? Yes/No
- (d) Do you suffer from night blindness? Yes/No
- (e) Are you so deaf so as to be unable to hear (and if the application is for driving a light motor vehicle, with or without hearing aid) the ordinary sound signal? Yes/No

(f) Do you suffer from any other disease or disability likely to cause your driving of a motor vehicle to be a source of danger to the public, if so, give details Yes/ No

I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the particulars given above and the declaration made therein are true. (Signature or thumb expression of the applicant)

- **Note:** (1) An applicant who answers "Yes" to any of the questions (a), (c), (e), (f) and (g) or "No" to either of the questions (b) and (d) should amplify his answers with full particulars, and may be required to give further information relating thereto.";
- 51. In the said rules, in Form 3, the words "in specified areas or routes," shall be omitted
- 52. In the said rules, after Form 7, the following form shall be inserted, namely: -

"FORM 8

[Refer Rule 17A]

FORM OF APPLICATION FOR PERMANENT SURRENDER OF CLASS OR CLASSES OF VEHICLES FROM DRIVING LICENSE

VEHICLES THOM BILL VILVE ETCE VOE
То
The Licensing Authority
Space for Passport Size Photograph
I hereby apply for permanent surrender of the following class or classes of vehicles from my drivir license, as applicable:
a. Motor cycle without gear;
b. Motor cycle with gear;
c. Adapted Vehicle; d. Light Motor Vehicle;
e. Transport Vehicle;
f. Others, which is not covered in any of the above categories.
Name of the applicant:
Address:
Date of Birth:
Driving License Number:
Date

53. In the said rules, after Form 10, the following form shall be inserted, namely: -

"FORM 10A

Signature or thumb impression of Applicant.";

[Refer Rules 23(1) and (3)]

FORM OF NATIONAL REGISTER OF DRIVING LICENSES

- 1. (a) Driving Licence Number and date of initial issue;
 - (b) Licensing authority which issued the licence;
 - (c) Name and designation of the officer who has taken the driving test and the date of passing the test by the holder of the licence.
- 2. Name, address, mobile number and other particulars of the holder of the driving licence:
 - (a) Name of the holder (with guardian's name, if minor)
 - (b) Date of Birth
 - (c) Educational Qualifications
 - (d) Permanent Address
 - (e) Temporary address/official address (if any)
 - (f) Subsequent change of address
 - (g) Class and types of vehicles for which the licence is given
 - (h) Addition of type of vehicles (if any) with dates
 - (j) Date of expiry of the licence and further renewal (with details of the licencing authority which renewed the licence)
 - (k) Details of DL Blocking/Suspension/Revoking, disqualifications, fine, cancellation etc, in relation to the holder of the driving licence
 - (1) Mobile Number
- 3. Photo & Signature of the Driving License Holder.".
- 54. In the said rules, in Form 19, in the table, -
- (a) after column (1), the following column and entries thereto shall be inserted, namely: -

"Dealer's name and address
(1A)

- (b) In column (2), the following shall be omitted—"and in case of vehicle registered, the registration number of the vehicle";
- (c) After column (3), the following column and entries thereto shall be inserted, namely: -

٠٠.	
	"Chassis number of Motor vehicle
•	(3A)"
"	

- (d) in column (7), after the words, "Hours of return to premises" the words "or reaching destination" shall be inserted."
- 55. In the said rules, in Form 20,
 - a. in the heading, after the words, "APPPLICATION FOR REGISTRATION" the words, "OR

51 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

TEMPORARY REGISTRATION" shall be inserted;

- b. In the heading after the words and figure, namely, "(Refer Rule 47", the words and figure, "and Rule 53A" shall be inserted;
- c. after para number 39, for the words "person to be registered as registered owner", the words, "dealer along with the specimen signature of the owner" shall be substituted;
- d. after the note and words, "CERTIFICATE OF INSPECTION OF MOTOR VEHICLE", the words, "WHOSE BODY HAS BEEN FABRICATED SEPARATELY TO THE PURCHASEDCHASSIS" shall be inserted.
- 56. In the said rules, after Form 20, the following form shall be inserted, namely. -

"FORM 20B [Refer Rule 53B (2)] APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF TEMPORARY REGSIRATION

	Owner Name
	Owner rame
	Date of grant of Temporary Registration
	Initial Period of validity of Temporary Registration as per Form 23B from to
	Periods of Extension sought:
	fromto
	from to
	Reason for extension: For being fitted with a body / due to any unforeseen circumstances beyond the control of the owner
	Fee Paid Details:
	Date
	Signature of the owner.".
vehi	In the said rules, in Form 21, for the words and columns, starting with "Certified that (brand name of the cle) has been delivered by us" and ending with "the vehicle is held under agreement of hire-chase/lease/hypothecation with", the following shall be substituted, namely: -
	"Part I- In case of application for registration of fully built motor vehicle made by owner
	Certified that
to	
to	Part II- In case of application for registration of fully built motor vehicle made by dealer

Mobile Number _____

Part III- In case of purchase of chassis	
Certified that(chassis) has been temporarily delivered by us on	
(date) to"	
Part IV- Applicable in case of Part I, Part II and	Part III.
Name of the buyer	
Mobile Number	
Son/wife/daughter of	
Address (permanent)	
(temporary)	
The vehicle is held under agreement of hire-purchase/lease/hypothecation with	
(58) In the said rules, after Form 22B, the following forms shall be inserted, no	
"FORM22C [(See rules 47A (1)] REQUEST AND PERMISSION FOR ALTERATION / RETROP Part I	FITMENT/ Adaptation
(To be submitted by the Motor Vehicle Owner)	
I hereby request the Registering Authority to accord prior permission my Motor Vehicle as per details mentioned below:	to undertake alteration/ retrofitment in
I hereby submit that I shall carry out the permitted alteration/ retrofitn 1989 and shall ensure that motor vehicle so altered shall be submitted for en along with necessary compliance documents.	
Place:	
Date:	
	(Signature of the Owner)
Nan	ne:
Design	ation:
	bile Number
Part II (To be issued by the Registering Authority)	
Motor Vehicle, bearing Registration Number, alter and /or retrofit as per provisions of CMVR 1989. After the retrofitment/ a shall be produced for verification and endorsement in the Registration Certificat	lteration is completed, the motor vehicle
2. In case permission is not accorded reasons	-
Place:	
Date:	
- -	(Signature of the authorised person)
	Name:

FORM 22D [(See rules 47B (1)] ENDORSEMENT OF ALTERATION/ RETROFITMENT Part I

(To be Issued by the Motor Vehicle Owner)

I hereby request the Registering Authority to endorse the alteration/ retrofitment carried out in my vehicle in the Certificate of Registration of my Motor Vehicle as per the details mentioned below:

Item

(2)

Details

(3)

Name:

1.	Motor Vehicle Details	
1.1	Motor Vehicle Make and Model	
1.2	Registration Number	
1.3	Chassis number (Optional)	
1.4	Engine number/Motor number (in case of battery operated vehicles) (Optional)	
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1	Alteration/ Retrofitment Details	
2.1	Nature of Alteration/ Retrofitment (Body Structure/ Fuel Source/ Chassis replacement / Engine replacement)	
2.2	Brief Details of alteration/ retrofitment work carried out	
	Compliance of Alteration/ Retrofitment with the Applicable Rules.	
3.1	Compliance Details of Alteration/ retrofitment	
	(a) Number and address details (Name, address and Contact Details) of the Company who has carried out Alteration/retrofitment	
	(b) Compliance details in the formats (Form no. 22F) provided under rule 112A of CMVR 1989 as applicable.	
	(Applicable in case carried out by the OE manufacturer or his dealer or Authorised Workshop as	
	allowed under Rue 112 of the CMVR 1989)	
4.	Reference number of permission for alteration/retro-fitment	
Date	::(Signature of th	e Owner)
	Name:	
	Mobile number	
	Part II	
	(To be filled Registering Authority)	
been	The Motor Vehicle, bearing Registration Number, duly Altered/ retrofitted verified and cleared for endorsement entry in to Registration Certificate.	d, has
Place:-	-	
Date:-		
	(Signature of the authorize	ed person)
	Designation:	

1987 GI/2021 (1)

Sr.

No. (1)

FORM 22E

[(See rules 47B (2)] REQUEST FOR ENDORSEMENT OF ADAPTATION Part I

(To be Issued by the Motor Vehicle Owner)

I hereby request the Registering Authority to endorse the adaptation carried out in my vehicle in the Certificate of Registration of my Motor Vehicle as per the details mentioned below:

Sr.	Item	Details
No.		
(1)	(2)	(3)
1. 1.1	Motor Vehicle Details	
1.1	Motor Vehicle Make & Model	
	Registration Number	
1.3	Chassis number (Optional)	
1.4 2. 2.1	Engine number/Motor number (in case of battery operated vehicles) (Optional)	
2.	Adaptation Details	
2.1	Nature of Adaptation (Body Structure/ Fuel Source/ Chassis replacement / Engine replacement)	
2.2	Brief Details	
3	Details of the user (person with disability) for vehicle being adapted, if any.	
3 3.1	Name of the prospective user of the adapted vehicle	
3.2	Address of the prospective user of the adapted vehicle	
3.3	Mobile Number of the prospective user of the adapted vehicle	
	Details of disabilities of the prospective user	
4	Compliance of Adaptation with the Applicable Rules.	
4.1	Compliance Details of Adaptation	
	(a) Details (Name, Telephone Number and address) of the Company who has carried out Adaptation	
	(b) Compliance details in the formats (Form No. 22G) provided under rule 112A of CMVR 1989 as	
	applicable.	
	(Applicable in case carried out by the OE manufacturer or his dealer or Authorized Workshop as	
	allowed under Rue 112A of the CMVR 1989)	
This is	s to certify that the adaptation mentioned above is correct.	
Place:		
_	(Signature of t	he Owner)
	Name:	
	Mobile Number:	
	Part II	
	(To be filled Registering Authority)	
	The Motor Vehicle duly adapted has been verified and cleared for endorsement entry in to Regis	stration
Certifi	cate subject to the condition that the user (person with disability) shall use this vehicle after obtaining	
	g license for such vehicle.	
Place:-	<u> </u>	
Date:-		
	(Signature of the authoris	ed person)
	Nama	

[(See rules 47B (3),112(3), 112(4), 126)]

COMPIANCE REPORT FOR ALTERNATION/RETROFITMENT

(To be submitted by the company/workshop who has carried out alteration/retrofitment either electronically on the Portal to the owner and owner shall submit this report to registering authority for the endorsement in registration certificate)

I hereby submit the compliance report for the alteration/retrofitment work carried out as detailed below. -

Sr.	Item	Details
No.		
(1)	(2)	(3)
1.	Motor Vehicle Details	
1.1	Motor Vehicle Make & Model	
1.2	Registration Number	
1.3	Chassis number (Optional)	
1.4	Engine number/Motor number (in case of battery operated vehicles) (Optional)	
1.5	Name, address and mobile number of the motor vehicle owner	
2.	Details of the Alteration/ Retrofitment carried out	
2.1	Nature of Alteration (Body Structure/ Fuel Source/ Chassis replacement / Engine replacement)	
2.2	Brief Details of the alteration/retrofitment carried out.	
2.3	Applicable rules from the CMV rules followed for alteration/retrofitment	
2.4	Standard as specified in applicable rules followed for carrying out alteration/retrofitment	
2.5	Compliance report regrading alteration/retrofitment in the form type approval issued by the authorized testing agency or self-certification report as the case may be.	To be attached
3.	Name, address and contact details of the firm who has carried out the subject alteration/retrofitment work	

This is to certify that the subject alteration/retrofitment work has been carried in such a manner that specific provision of the rules related to alteration/retrofitment are followed and it is ensured that motor vehicle so altered comply with the requirements of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

Place:	
Date:	
	(Authorised signatory of the firm who carried out
	alteration/retrofitment)
	Name of the person:
	Name of the firm which carried out alteration/retrofitment
	Mobile Number-
	FORM 22C

FORM 22G

[(See rules 47B (3), 112A (2), 126)]

COMPIANCE REPORT FOR ADAPTATION OF MOTOR VEHICLE

(To be submitted by the company/workshop who has carried out adaptation work on motor vehicle retrofitment either electronically on the Portal to the motor vehicle owner and owner shall submit this report to registering authority for the endorsement in

registration certificate)

Sr.	Item	Details
No.		
(1)	(2)	(3)
1.	Motor Vehicle Details	
1.1	Motor Vehicle Make & Model	
1.2	Registration Number	
1.3	Chassis number (Optional)	
1.4	Engine number/Motor number (in case of battery operated vehicles) (Optional)	

1.5	Name, address and mobile number of the motor vehicle owner	
2.	Details of the alteration to convert motor vehicle in to adapted vehicle.	
2. 2.1	Nature of Alteration for converting it in to adapted vehicle (Body Structure, vehicle control)	
2.2	Brief details of the alteration carried to convert motor vehicle in to adapted vehicle.	
2.3	Applicable rules from the CMV rules followed for carrying out adaptation work	
2.4	Standard as specified in applicable rules followed for carrying out alteration/retrofitment	
2.5	Compliance report regrading alteration work carried out to convert motor vehicle in to adapted vehicle in the form type approval issued by the authorized testing agency or self-certification report as the case may be.	To be attached
3.	Name, address and contact details of the firm who has carried out the subject adaptation work	

This is to certify that the subject alteration/retrofitment work has been carried in such a manner that specific provision of the rules related to adaptation work of motor vehicle are followed and it is ensured that motor vehicle so altered to make it as adapted vehicle comply with the requirements of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

Place	e:	
	:	
	(Authorised	d Signatory of the firm which carried out alteration worl to convert motor vehicle in to adapted vehicle
	Ν	Name of the person:
(59)	In the said rules, after Form 23A, the following form shall	be inserted, namely: -
	"FORM 23 [Refer Rule 53B (1 TEMPORARY CERTIFICATE	1) and (3)]
	Temporary Registration Mark	
	Application No	
	Owner Name	
	Son/wife/daughter of	
	Address	
	Mobile Number	
	Description of Vehicle	
	Class of Vehicle	
	Maker's Name	
	Maker's Model Name	
	Type of Body	
	Seating Capacity	
	Colour	
	Engine Number	
	Chassis Number	
	Place where Vehicle shall be Permanently Registered	

Body Building / For Permanent Registration at RTO in another State

Note: The Motor Vehicle above described is Hire-Purchase/Lease Agreement/Hypothecation in favour

Reason for taking Temporary Registration For

	of		
Тетр		of section 43 of the Motor Vehicles Act, 1988 the Temporary Registration is valid from	
	This certificate is exten	nded:	
	From	to	
	Date		
	From	to	
Date	e		
	Fee Paid Details:		
	Tax Paid Details:		

Specimen Signature of the Owner Signature of Registering Authority.".

(60) In the said rules, for Form 24, the following Form shall be substituted, namely: -

 $\label{eq:form 24} \text{REGISTER OF MOTOR VEHICLE} \, / \, \text{NATIONAL REGISTER OF MOTOR VEHICLES}$

[Rule 49 and 75(1) and 75(3)]

Description	of	Particulars of		Particulars of agr		Entries relating	Remarks.
registration motor vehicle	of e.	on registration ownership/cha address of mot	nge of	of hire purchase, & hypothecation.		to the all types of endorsement on certificate of registration.	
Particulars	Details	Full name son/wife/daughter of, present address/pe rmanent address/m obile number/nominee name, relationshi p with the nominee	Specimen Signature	Endorsement and cancellation of an endorsement of such agreement with full name and address of the financier	Specimen signature or thumb impression of financier	Endorsement and cancellation of an endorsement of such agreement with full name and address of the financier	Such as suspension/ cancellation issue of duplicate (to the registered owner/ fresh (to the financier); and exemption granted, NOC issued vehicle removed to other, State alteration of vehicle
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1. Registration No.
- 2. Date of Registration
- 2A. Purchase Date
- 3. Name of owner Son/wife/daughter of

Full address	
(Permanent)	
(Temporary) Mobi	le
Number	
4. Dealer's name and addr	ress
5. Particulars of previous	registration number, viz.
(a) The name of the reg	istering authority
(b) Registration number	assigned
6. The motor vehicle is	
a. New	
b. Ex-Army	
c. Imported	
7. Class of vehicle	
8. Maker's name	
9. Type of body	
10. Month and year of manu	ıfacture
11. No. of cylinders	
12. Chassis No.	
	mber in case of Battery operated vehicles
14. Fuel used in engine	
15. Horsepower	
16. Cubic capacity	
17. Maker's Classification	
18. Wheel base(mm)	
19. Seating capacity includi	ng all
19A.Standing capacity	
19B. Sleeper capacity	
20. Colour or colours of boo	ly, wings, frontend
21. Unladen weight (kg)	14/1-)
22. Registered Gross vehicle	
22A. Gross Combination 22B. Floor Area (sq. m)	n Weight, if applicable (kg)
22C. Sale Amount	
22D. Emission Norms	
22E. Heights (mm)	
22F. Lengths (mm)	
22G. Widths (mm)	
	case of transport vehicle other than motor cabs.
Number of axle	
1. No. Description and size of tyres,	
front axle,	
rear axle	
any other axle, Tandem axle.	
1A. Type of Suspension System	
2. Registered axle weight	
Front axle	kg
Rear axle	kg

	Tandem axlekg	
2A.	A. Overhang (mm) 2B. Rearhang	
	(mm)	
	24. Additional particulars of alternatives or additional articulated vehicle.	al trailer or semi-trailers registered with an
	1. Type of body	
	2. Unladen weight (kg)	
	3. Number and description and size of tyre on each	ch axle.
	4. Registered axle weight (kg) in respect of each	vehicle.
	25. Insurance certificate/cover note number	ny) hecation, If so, particulars of financier, etc.
	(To be stored "As per Fitness" for T	Fransport / Commercial vehicle)
	28. Name and designation of the inspecting officer who (in case of vehicles other than fully built body)	certified the vehicle as fit for registration
	29. Name and designation and signature of the registerir	ng, authority." .
CERTIFICA	he said rules, in Form 25, in the heading, after the words, "FOICATE OF REGISTRATION OF A MOTOR VEHICLE", the "Form 15, shall be omitted."	
	he said rules, in FORM 34, after the words and brackets '(fill the words 'We request that an entry of the agreement', the following	
	"having agreement number/loan account number	
		[F. No. RT-11036/60/2019-MVL]
		[AMIT VARADAN, Jt. Secy.]

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2 June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R 173(E), dated the 11th March, 2021.